

Officers of the University

Professor O.P.S.Negi Vice Chancellor				
Name	Designation	Contact No.	E-mail	
Prof. P.D.Pant	Registrar	05946-286006	registrar@uou.ac.in	
Dr. Somesh Kumar	Examination Controller	9911614673	someshkumar@uou.ac.in	
Mrs. Abha Garkhal	Finance Controller	9456727137	gabha@uou.ac.in	
Dr. Rakesh Rayal	Public Relation Officer	9410967600	rrayal@uou.ac.in	
Directors of School / Division/ Directorate				
Name	Name of School	Division/ Directorate	Contact No.	E-mail
Prof. R.C. Mishra	Management Studies & Commerce, Health Science Tourism, Hotel Management & Hospitality	Academics	9412034574	rcmishra@uou.ac.in
Prof. Durgesh Pant	Computer Science & Information Technology, Vocational Studies	ICT	9412375384	dpant@uou.ac.in
Prof. Girija P. Pande	Social Science	Research & Innovation Community Radio, Regional Services Division	9412351759	gpande@uou.ac.in
Prof. P.D. Pant	Science , Agriculture & Development Studies, Earth and Environment Science	MPDD	9411597995	pdpant@uou.ac.in
Prof. A.K. Naveen	Law, Library & Information Science and Education		9412314833	aknaveen@uou.ac.in
Prof. Renu Prakash	Humanities, Journalism & Media Studies,		7302324006	rprakash@uou.ac.in
Regional Directors				
Regional Centre	Regional Director	Address	Contact No.	E-mail
Dehradun (11)	Dr. Sandeep Negi	SGRR, Pathribagh, Dehradun	9412031183 01352720027	dehradun@uou.ac.in
Roorkee (12)	Dr. Gautam Veer	B.S.M PG College, Roorkee	941243943601332274365	roorkee@uou.ac.in
Pauri (14)	Dr. A.K Dobriyal	H.N.B. Garhwal University, Pauri	9412960687 01368223308	pauri@uou.ac.in
Uttarkashi (15)	Dr. Suresh chandra	Govt. PG College, Uttarkashi	9412409442 01374222004	uttarkashi@uou.ac.in
Haldwani (16)	Dr. Rashmi Pant	M.B P.G. College, Haldwani	9411162527 05946284149	haldwani@uou.ac.in
Ranikhet (17)	Dr. Y.C.Singh	Govt. PG College, Ranikhet	9997272828, 05966220474	ranikhet@uou.ac.in
Pithoragarh (18)	Dr. B.C Pathak	Govt. PG College,Pithoragarh	9412093678, 05964-264015	pithoragarh@uou.ac.in
Bageshwar (19)	Dr. B.C Tiwari	Govt. PG College, Bageshwar	9412044914 05963221894	bageshwar@uou.ac.in
Assistant Regional Directors				
Dehradun (11)	Sri Anil Kandari	Uttarakhand Open University, Haldwani	9084124647	akandari@uou.ac.in
Roorkee (12)	Smt Ruchi Arya	Uttarakhand Open University, Haldwani	7456811951	ruchiarya@uou.ac.in
Pauri (14)	Sri Bhashkar Chandra Joshi	Uttarakhand Open University, Haldwani	8279611074	bhaskarjoshi@uou.ac.in
Uttarkashi (15)	Sri Govind Singh	Uttarakhand Open University, Haldwani	7818871463	govinds@uou.ac.in
Haldwani (16)	Sri Brijesh Kumar Bankoti	Uttarakhand Open University, Haldwani	7534098691	bbankoti@uou.ac.in
Ranikhet (17)	Smt Priyanka Lohani Pandey	Uttarakhand Open University, Haldwani	9761237775	plohani@uou.ac.in
Pithoragarh (18)	Sri Pankaj Kumar	Uttarakhand Open University, Haldwani	8191003873	pkumar@uou.ac.in
Bageshwar (19)	Smt rekha Bisht	Uttarakhand Open University, Haldwani	8279959131	rbisht@uou.ac.in

विवरणिका
PROSPECTUS
2022-23



विश्वविद्यालय मार्ग, ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे
University Road, Behind Transport Nagar
हल्द्वानी 263139, नैनीताल, उत्तराखण्ड
Haldwani 263139, Nainital, Uttarakhand

Phone फोन: 05946-286000; Fax फैक्स: 05946-264232;
Tollfree No. टोल फ्री : 18001804025 (10 am to 5 pm on working days)
email: info@uou.ac.in Website : <http://uou.ac.in>

संपादन एवं संयोजन (Editing and Compilation)

Dr. Madan Mohan Joshi

Dr. V.K. Sharma

Dr. Vinod Kumar

Sri Deep Prakash

आभार (Acknowledgement)

विवरणिका-संयोजक, समस्त विद्याशाखाओं के निदेशक, अध्यापक, प्रशासन, प्रवेश एवं परीक्षा से सम्बंधित सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु आभार व्यक्त करता है।

The Compiler is thankful to all the Director of Schools, Faculty members, Administration and the staff related to admission and examination for their inputs and suggestions.

मूल्य : 100/-

©उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल

प्रकाशन : अगस्त, 2022

प्रकाशक : उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

यद्यपि इस विवरणिका में सूचनाओं / तथ्यों / नियमों के मुद्रण में पूर्ण सावधानी का पालन किया गया है, फिर भी यदि इस सम्बन्ध में कोई त्रुटि अथवा विसंगति पायी जाती है तो शासन अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आधिकारिक सूचनाएं ही प्रभावी और सर्वमान्य होंगी।

Although due care has been taken while printing the information / rules / facts in the Prospectus, yet if any error or discrepancy comes into notice at the later stage, then the official information/ defined rules/ facts issued by the University or Government will be effective and obligatory.

विश्वविद्यालय के द्वारा चलाए जा रहे सभी पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुरूप हैं। इस सम्बन्ध में समय-समय पर दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों का परिनियमावली में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप क्रियान्वयन किया जाता है।

All the programmes of study being offered by the University are as per the orders / guidelines of the Distance Education Bureau (DEB), University Grant Commission (UGC), New Delhi. In this regard, orders /directives/ guidelines of the DEB, University Grant Commission, New Delhi issued from time to time are followed by the University as per the procedure laid down in its Statute.

अनुक्रमणिका (Contents)

1. सामान्य जानकारीयां

शैक्षिक कलैण्डर

v

कुलपति का संदेश (Message of Vice Chancellor)

vi

यू.जी.सी. का पत्र (Letter of UGC)

vii

2. महत्वपूर्ण सम्पर्क एवं ई-मेल (Telephone Numbers and E-Mails)

viii-ix

3. विश्वविद्यालय (The University)

1-5

4. प्रवेश एवं परीक्षा: नियम एवं विनियम (Admission and Examination: Rules and Regulations)

5-17

4.1 प्रवेश नियम (Admission Rules)

5-12

4.2 परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति (Examination & Evaluation System)

12-17

5. पाठ्यक्रम (Programmes)

18-100

5.1 स्नातक पाठ्यक्रम (Bachelor Degree Programme)

18-43

5.2 परास्नातक पाठ्यक्रम (Post Graduate Degree Programme)

44-76

5.3 डिप्लोमा कार्यक्रम (Diploma Programme)

77-90

5.4 प्रमाणपत्र कार्यक्रम (Certificate Programme)

91-106

6. (क्षेत्रीय एवं अध्ययन केन्द्रों की सूची) List of Regional and Study Centers

7. परिशिष्ट (Appendix)

I. आवेदन-पत्र को भरने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश (Guidelines for Filling- in Application Form)

II. आवेदन-पत्र को आनलाइन भरने की प्रक्रिया (Online Application Procedure)

III. प्रबंध कार्यक्रमों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश (Guidelines for Management Programme)

बीसीए कार्यक्रम के लिए मूक पाठ्यक्रम एवं संस्थानों की सूची (List of MOOC Course and Institutions)

प्रवेश फॉर्म 2021 (Admission Form 2021)

ऑन लाइन /ऑफ लाइन आवेदक की घोषणा (Declaration of On-line/ Off-line Applicant)

परीक्षा फॉर्म (Examination Form)

परीक्षा फॉर्म बैक (Examination Form-Back)

परीक्षा केन्द्रों की सूची (List of Examination Centers)

प्रोविजनल तथा प्रतिलिपि उपाधि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रारूप

(Application Form for obtaining Degree/Diploma/Certificate/Provisional and Duplicate Mark-sheet)

प्रवेश एवं सत्रीय कार्य हेतु पावती कार्ड (Acknowledgement Card for Receipt of Admission Form and Assignments)

पुनर्प्रवेश आवेदन पत्र (Readmission Form)

शुल्क अदायगी हेतु बैंक चालान फॉर्म (Bank Challan Forms for Fee Payment)

शैक्षणिक कैलेंडर (The Academic Calendar) अकादमिक सत्र 2022-23	
प्रवेश आरम्भ की तिथि	01 अगस्त 2022
प्रवेश हेतु अंतिम तिथि (Last date) As per UGC rules	31 अक्टूबर 2022
परीक्षा (Examination)	
वार्षिक परीक्षा (Annual Examination)	
ग्रीष्मकालीन सत्र (Summer Session) सितम्बर-अक्टूबर 2022	जून- जुलाई (July) 2023
शीतकालीन सत्र (Winter Session) जनवरी-फरवरी 2023	नवम्बर-दिसम्बर 2023
सेमेस्टर परीक्षा (Semester Examination)	
ग्रीष्मकालीन सत्र (Summer Session) सितम्बर-अक्टूबर 2022	जनवरी-फरवरी 2023
शीतकालीन सत्र (Winter Session) जनवरी-फरवरी 2023	जून- जुलाई (July) 2023
परियोजना कार्य जमा करने की अंतिम तिथि (Last date of submission of Project report)	
सत्र ग्रीष्मकालीन सत्र (Summer Session)2022	
सेमेस्टर ग्रीष्मकालीन सत्र (Summer Session) 2022	वार्षिक ग्रीष्मकालीन सत्र (Summer Session) 2022
15 December 2022	15 June 2023
शीतकालीन सत्र (Winter Session) 2023	
सेमेस्टर शीतकालीन सत्र (Winter Session) 2023	वार्षिक शीतकालीन सत्र (Winter Session) 2023
30 May 2023	15 November 2023
पाठ्य सामग्री प्राप्त करने की तिथि	
पाठ्य सामग्री यू.जी. सी. द्वारा निर्दिष्ट प्रवेश तिथि से एक पखवाड़े के भीतर वैबसाइट में अपलोड कर दी जायेगी	



संदेश

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सन् 2005 में राज्य विधान सभा के अधिनियम 23 के अंतर्गत हुई। यह सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, जो सम्पूर्ण प्रदेश में फैला है। राज्य भर में आठ क्षेत्रीय निदेशालयों और दो आदर्श अध्ययन केन्द्रों सहित 122 अध्ययन केन्द्रों के साथ आज विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों के माध्यम से उच्च शिक्षा को प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों और विशेषकर पहाड़ी भू-भाग के अन्दरूनी क्षेत्रों तक पहुँचाना है। पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए इस वर्ष 'दूरस्थ शिक्षा प्रसार प्रकोष्ठ' की स्थापना की गयी, जिसके द्वारा भ्रमण कर कुमाऊँ और गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यार्थियों और आम जनों के बीच उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों की जानकारी दी जाती है। विश्वविद्यालय में वर्तमान में शिक्षार्थियों की संख्या 90 हजार को पार कर गयी है।

विश्व में सूचना-प्रौद्योगिकी क्रांति के उपरान्त मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का महत्त्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है अर्थात् टेक्नोलॉजी की सहायता से शिक्षार्थी घर बैठे उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त सकते हैं। वर्तमान समय में विश्वविद्यालय 92 पारंपरिक, व्यावसायिक, तकनीकी व रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है। ये सभी पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय का ध्येय शैक्षणिक व्यवस्था को सम्पूर्णतः विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इस ध्येय की प्राप्ति के लिए विश्वविद्यालय ने अपनी आंतरिक व्यवस्था को परम्परागत शिक्षक केंद्रित व्यवस्था के स्थान पर प्रदेश भर के सामान्य शिक्षार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए शिक्षार्थी केंद्रित बनाया है। शिक्षार्थियों के हित एवं उनकी अन्यान्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों को संचार प्रौद्योगिकी के नवीनतम उपकरणों और सम्पर्क सत्रों के माध्यम से लाभकारी बनाने का सफल प्रयास किया है। इस हेतु विश्वविद्यालय पाठ्य सामग्री, काउंसिलिंग और नवीनतम प्रौद्योगिकी का यथोचित प्रयोग करता है।

व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में तीव्रता से हो रहे बदलावों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रमों को इस प्रकार पुनर्गठित किया है कि शैक्षणिक व्यवस्था के केन्द्र में प्रदेश का सामान्य विद्यार्थी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। इस नवीन दर्शन का मूलभूत उद्देश्य वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को परम्परागत व्यवस्था के स्थान पर नवीन मुक्त एवं दूरस्थ व्यवस्था की ओर उन्मुख करना है। इस नवीन शिक्षा व्यवस्था को व्यावहारिक स्तर पर सफल बनाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों के लिए रोजगार की उपलब्धता पर भी ध्यान केंद्रित किया है, विश्वविद्यालय अपने छात्रों के लिए आई.आई.टी. बम्बई के 'स्पोकन ट्यूटोरियल' के ऑनलाइन कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है, जो पूर्णतः नि:शुल्क हैं, छात्रों को इनका लाभ उठाना चाहिए। विश्वविद्यालय ने प्रवेश एवं परीक्षा संबंधी अधिकतर कार्यों को ऑनलाइन स्तर पर भी संपादित करने की सुविधा प्रदान की है। इस हेतु विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.uou.ac.in पर दिया गया है। इसी क्रम में वर्तमान सत्र से विश्वविद्यालय ने शिक्षार्थियों से सीधे संवाद स्थापित करने की दिशा में शिक्षार्थियों के प्रवेश और पुस्तक-वितरण के लिए समस्त अध्ययन केन्द्रों को सीधे विश्वविद्यालय मुख्यालय से जोड़ने की पहल की है। अपने इन्हीं प्रयासों के सुचारू संपादन के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा ग्रीष्मकालीन शैक्षणिक सत्र 2022-23 में संचालित किए जा रहे विभिन्न विषयों के स्नातकोत्तर, स्नातक, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक शिक्षार्थियों के लिए यह विवरणिका तैयार की गई है।

मैं आशा करता हूँ कि विश्वविद्यालय की यह विवरणिका जिज्ञासु शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यक्रम चयन हेतु सहायक सिद्ध होगी। विश्वविद्यालय का सामान्य परिचय एवं विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों की नवीनतम जानकारी प्राप्त करने में यह विवरणिका सहायक सिद्ध होगी।

मैं अपनी तथा विश्वविद्यालय परिवार की ओर से शिक्षार्थियों तथा इस विवरणिका के सामान्य पाठकों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।



University Grants Commission
Bahadur Shah Zafar Marg
New Delhi-110002
2766

2308-

F.No.UGC/DEB/2013

Dated 14.10.2013

The Registrar/ Director
Of all the Indian Universities
(Deemed, State, Central Universities/
Institutions of National importance)

Subject: Equivalence of Degrees awarded by Open and Distance Learning (ODL) Institutions at par with Conventional Universities / Institutions

Sir/ Madam,

There are a number of Open and Distance Learning Institutions (ODLIs) in the country offering Degree/ Diploma/ Certificate programmes through the mode of non formal education. These comprise Open Universities, Distance Education Universities, Deemed to be Universities, Institutions of National Importance or any Council/ Societies registered under the Society Registration Act 1860.

2. A circular was earlier issued vide UGC letter FI No.-52/2000 (CPP-11) dated May 05, 2004 (copy enclosed) mentioning that Degrees/Diplomas / Certificates / awarded by the Open Universities in conformity with the UGC notification of degree be treated as equivalent to corresponding awards of the traditional Universities in the country.
3. Attention is also invited to UGC circular No FI-25/93(CPP-II) dated 28th July 1993 (copy enclosed) for recognition of degrees and diplomas as well as transfer of credit for course successfully completed by students between the two types of Universities / institutions is ensured without any difficulty.
4. The Government of India, in exercise of its power conferred under section 20 (1) of UGC Act 1956, issued directions dated 29th December 2012 entrusting UGC with the responsibility of regulating higher education programme in open and distance learning (ODL) mode. Consequently, Universities/ Institutions desirous of offering any programme through distance mode would require recognition of UGC.
5. As you are aware, the Government of India has envisaged a greater role for the Open and Distance Education System. The envisaged role may be fulfilled by recognizing and treating the Degrees / Diplomas / Certificates awarded through distance mode at par with the degrees obtained through the formal system of education. Open and Distance Education System in the country is contributing a lot in expansion of Higher Education and for achieving target of GER, without compromising on quality. Non recognition / non equivalence of degrees of ODI Institutions for the purpose of promotion/ employment and pursuing higher education may prove a deterrent to many learners and will ultimately defeat the purpose of Open and Distance Education.
6. Accordingly, the Degrees / Diplomas/ Certificates awarded for programmes conducted by the ODL institutions, recognized by DEC (erstwhile) and UGC, in conformity with UGC Notification on specification of Degrees should be treated as equivalent to the corresponding awards of the Degree/Diploma/Certificate of the traditional Universities/ Institutions in the country.

(Vikram Sahay) 14/10/13

Director (Admn)

Tel: 011 23230405

2. विश्वविद्यालय : महत्वपूर्ण सम्पर्क एवं ई-मेल (Telephone Numbers and E-Mails)

Administration, Admission, Examination, Finance and Academics

Designation	Name	Telephone No.	E-Mail
Reception	-	05946-286000	info@uou.ac.in
VC Office	-	05946-286009; Fax 05946-262032	vco@uou.ac.in
Registrar	Prof.P.D.Pant	05946-286006	registrar@uou.ac.in
Registrar Office	-	05946-286005; Fax 05946 264232	-
Deputy Registrar	Sri. Vimal Kumar Mishra	8273885525	vkumishra@uou.ac.in
Finance Controller	Ms. Abha Garkhal	05946-286012, 9456727137	fc@uou.ac.in
Accounts Office	-	05946 286013	-
Public Relations Officer	Dr. Rakesh Rayal	05946 286079, 9410967600	rrayal@uou.ac.in
Director Academics	Prof. R.C. Mishra	05946 286051	rcmishra@uou.ac.in
Assistant Director Academics	Dr. Gagan Singh	05946 286053, 9410377546	gsingh@uou.ac.in
Assistant Director Academics	Dr. Sumit Prasad	05946 286050, 9456346010	spasad@uou.ac.in
Director (Book Distribution)	Prof. P.D.Pant	9411597995	pdant@uou.ac.in
Asst. In-charge Book Distribution	Dr. Ghanshyam Joshi	05946 286047, 9456370179	gjoshi@uou.ac.in
Asst. In-charge Book Distribution	Sri Deepak Kumar	05946-286002	mpdd@uou.ac.in
Asst. In-charge Book Distribution	Sri Pradeep Kumar	05946-286002	mpdd@uou.ac.in
Book Distribution (MPDD)	Sri Vinod Kumar Birkhani	9997678888	vbirkhani@uou.ac.in
Administrative Officer	Mr. P.S. Parihar	05946 286058, 9837512236	psparihar@uou.ac.in
Director (RSD)	Prof. Girija Pande	05946 286045,	gpande@uou.ac.in
In-charge (Admission)	Dr.Madan Mohan Joshi	05946 286043,	mmjoshi@uou.ac.in
Assist. In-charge (Admission)	Dr. Vishal Kumar Sharma	9410725380	vksharma@uou.ac.in
Assist. In-charge (Admission)	Dr. Vinod Kumar	9548822690	vinodkumar@uou.ac.in
Assist. In-charge (Admission)	Sri Deep Prakash	7895451528	dprakash@uou.ac.in
Admission		05946-286002	admission@uou.ac.in
Examination Controller	Dr. Somesh Kumar	05946 286023, 9911614673	someshkumar@uou.ac.in
Examination		05946-286022	exam@uou.ac.in
Deputy Controller of Examination	Dr. Ashutosh Kumar Bhatt	05946 286074, 9412327953	akbhatt@uou.ac.in
Asst. Examination Controller	Dr. Debki Sirola	8755058688	dsirola@uou.ac.in
Asst. Examination Controller	Dr. Jyoti Rani	6397612388	jrani@uou.ac.in
Asst. Examination Controller	Dr. Kalpana Lakhera	9412996449	klakhera@uou.ac.in
Asst. Examination Controller	Dr. Sunil Kumar	8650848508	sunilkumar@uou.ac.in
Director Research	Prof. Girija Pande	05946 286045,	gpande@uou.ac.in
Assistant Director Research	Dr. Manjari Agarwal	05946 286054, 9897033596	magarwal@uou.ac.in
Assistant Director Research	Dr. Suryabhan Sungh	05946 286042, 9410770312	sbhansingh@uou.ac.in
Head ICT	Dr. Jeetendra Pande	05946 286016,	jpande@uou.ac.in
Assistant Director Computer IT	Mr. Navneet Mehra	9720001553	nmehra@uou.ac.in
Assistant Director Computer IT	Mr. Anurag Bhatt	8191002115	anuragbhatt@uou.ac.in
Assistant Director Computer IT	Mr. Gurudev Singh Rana	8447088327	grana@uou.ac.in
Assistant Director Computer IT	Mr. Pawan Kumar	9997190000	pawankumar@uou.ac.in
Hardware Engineer	Mr. Rajesh Arya	05946 286017,	rarya@uou.ac.in
Computer Programmer	Mr. Jitendra Kumar Diwedi	05946 286017,	jkdwivedi@uou.ac.in
Computer Programmer	Mr. Rajendra Goswami	05946 286017,	rgoswami@uou.ac.in
Network Administrator	Mr. Mohit Rawat	05946 286017,	mrawat@uou.ac.in
Hardware Engineer	Mr. Vineet Pauriyal	05946 286017,	vpauriyal@uou.ac.in
Research Officer	Ms. Karishma	8279488282	karishma@uou.ac.in
Research Officer	Ms. Sarojani	6398258311	sarojanibisht@uou.ac.in
Research Officer	Mr. Trilok Singh	9458491525	tsingh@uou.ac.in
Internal Complaint Committee I/C Women Empowerment Cell	Dr. Manjari Agarwal	05946-286054, 9917600141	magarwal@uou.ac.in
Internal Complaint Committee, Co-coordinator/Assistant	Dr. Neerja Singh	05946-286044, 9927145246	neerjasingh@uou.ac.in
Alumni Cell I/C	Dr. Suchitra Awasthi	05946 286065, 9410112792	sawasthi@uou.ac.in

Academics

Name	Designation	Extention	Email
SCHOOL OF AGRICULTURE AND DEVELOPMENT STUDIES			
Prof. P.D. Pant	Director	05946 286023, 9411597995	pdpant@uou.ac.in
Dr. Virendra Kumar	Asst. Professor(Agriculture)	05946 286039, 9456140200	vkumar@uou.ac.in
SCHOOL OF EARTH AND ENVIRONMENT SCIENCE			
Prof. P.D. Pant	Director	05946 286023, 9411597995	pdpant@uou.ac.in
Dr. Harish Chandra Joshi	Assistant Professor(Forestry)	05946 286066	hcjoshi@uou.ac.in
Dr. Ranju Joshi Pandey	Assistant Professor (AC) (Geography)	05946 286037, 9368730769	rjpandey@uou.ac.in
Dr. Pradeep Kumar Pant	Assistant Professor (AC) (Geography)		pkpant@uou.ac.in
Dr. Sudhanshu Kumar Verma	Assistant Professor (AC) (Geography)		
Dr. Krishna Kumar tamta	Assistant Professor (AC) (Environ. Sc.)		
Dr. Beena Tiwari Fulara	Assistant Professor (AC) (Environ. Sc.)		
SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY			
Prof. Durgesh Pant	Director	9412375384	dpant@uou.ac.in
Dr. Jeetendra Pande	Associate Professor (Computer Sc.)	05946 286016,	jpande@uou.ac.in
Dr.Ashutosh Kumar Bhatt	Associate Professor (Computer Sc.)	9412327953	akbhatt@uou.ac.in
Mr. Balam Singh Dafouti	Assistant Professor (AC) (Computer Sc.)	05946 286060, 9720669090	bdafouti@uou.ac.in
Dr.Parth Gautam	Assistant Professor (AC) (Computer Sc.)		
SCHOOL OF HEALTH SCIENCE			
Prof. R.C. Mishra	Director	05946 286051	rcmishra@uou.ac.in
Dr. Hemant Kandpal	Assistant Professor (Ayurveda)	05946 286052, 9456365244	hkandpal@uou.ac.in
Dr. Bhanu Prakash Joshi	Assistant Professor(Yoga)	05946 286052, 9411163102	bhanujoshi@uou.ac.in
Sri Deepak Kumar	Assistant Professor(Yoga)	05946 286052, 9761043354	deepakkumar@uou.ac.in
Ms. Neeta Deoliya	Assistant Professor (AC) (Yoga)		ndeoliya@uou.ac.in
Dr. Deepika Verma	Assistant Professor (Home Sc.)	9927428363	dverma@uou.ac.in
Dr. Preeti Bora	Assistant Professor (AC) (Home Sc.)	05946 286055, 9927093103	pbora@uou.ac.in
Mrs. Monika Dwivedi	Assistant Professor (AC) (Home Sc.)	05946 286055, 9758568764	mdwivedi@uou.ac.in
Dr. Jyoti Joshi	Assistant Professor (AC) (Home Sc.)	05946 286055,	jjoshi@uou.ac.in
Ms. Diksha Bisht	Assistant Professor (AC) (Yog)		
Ms.Pooja Bhatt	Assistant Professor (AC) (Home Sc.)		
Mr. Anil Kothari	Assistant Professor (AC) (Yog)		
SCHOOL OF SCIENCE			
Prof. P.D. Pant	Professor (Geology) & Director of School	05946 286023, 9411597995	pdpant@uou.ac.in
Dr. Kamal Devlal	Assistant Professor(Physics)	05946 286048, 9411525595	kdeolal@uou.ac.in
Dr. Vishal Kumar Sharma	Assistant Professor(Physics)	9410725380	vksharma@uou.ac.in
Ms. Gauri	Assistant Professor(Physics)	9639630546	gauri@uou.ac.in
Dr. Rajesh Mathpal	Assistant Professor (AC) (Physics)	9758417736	rmathpal@uou.ac.in
Ms. Meenakshi Rana	Assistant Professor (AC) (Physics)	9718728654	mrana@uou.ac.in
Dr. Shalini Singh	Assistant Professor(Chestry)	9917150681	shalinisingh@uou.ac.in
Dr. Vinod Kumar	Assistant Professor(Chestry)	9548822690	vinodkumar@uou.ac.in
Sri Deep Prakash	Assistant Professor(Chestry)	7895451528	dprakash@uou.ac.in
Dr. Charu Chandra Pant	Assistant Professor (AC) (Chemistry)	05946 286069, 9997216611	cpant@uou.ac.in
Dr. S.N.Ojha	Assistant Professor(Botany)	8859207240	snojha@uou.ac.in
Dr. Pooja Juyal	Assistant Professor (AC) (Botany)	05946 286037, 9675063263	pjuyal@uou.ac.in
Dr. Keertika Padaliya	Assistant Professor (AC) (Botany)	9456322128	kpadaliya@uou.ac.in
Dr. Prabha Dhondiyal	Assistant Professor (AC) (Botany)	9412969584	pdhondiyal@uou.ac.in
Dr.Pravesh Kumar	Associate Professor (Zoology)	9758936059	pksehal@uou.ac.in
Dr. Shyam S. Kunjwal	Assistant Professor (AC) (Zoology)	05946 286069, 9410183247	skunjwal@uou.ac.in
Dr.Mukta Joshi	Assistant Professor (AC) (Zoology)	9634551084	muktajoshi@uou.ac.in
Ms. Poornima Vishwakarma	Assistant Professor (AC) (Zoology)		pvishwakarma@uou.ac.in
Dr. Arvind Bhatt	Associate Professor (Mathematics)	8979067260	arvindbhatt@uou.ac.in
Dr. Jyoti Rani	Assistant Professor(Mathematics)	6397612388	jrani@uou.ac.in
Dr. Kamlesh Bisht	Assistant Professor (AC) (Mathematics)	9411376836	kamleshbisht@uou.ac.in
Ms. Shivangi Upadhyay	Assistant Professor (AC) (Mathematics)	7703910331	supadhyay@uou.ac.in
Mr. Pushpesh Joshi	Assistant Professor (AC) (Botany)		
Dr. Jaya Upreti	Assistant Professor (AC) (Zoology)		
Ms. Purnima Nailwal	Assistant Professor (AC) (Zoology)		
Dr.Ruchi Pande	Assistant Professor (AC) (Chemistry)		

SCHOOL OF MANAGEMENT STUDIES AND COMMERCE			
Prof. R.C.Mishra	Director	05946 286051	rcmishra@uou.ac.in
Dr. Gagan Singh	Associate Professor(Commerce)	05946 286053, 9410377546	gsingh@uou.ac.in
Sri Sunil Kumar	Assistant Professor(Commerce)	8650848508	sunilkumar@uou.ac.in
Dr. Manjari Agarwal	Assistant Professor(Management)	05946 286054, 9917600141	magarwal@uou.ac.in
Er. Sumit Prasad	Assistant Professor(Management)	05946 286050, 9456346010	sprasad@uou.ac.in
Dr. Priya Mahajan	Assistant Professor (AC) (Commerce)	05946 286054, 8439274300	pmahajan@uou.ac.in
Mr. Somesh Pathak	Assistant Professor (AC)(Management)		
SCHOOL OF EDUCATION			
Prof. A.K.Naveen	Director	9412314833	aknaveen@uou.ac.in
Dr. Digar Singh	Associate Professor	9897262526	dsfarswan@uou.ac.in
Dr. Dinesh Kumar	Assistant Professor(Education)	05946 286076, 9837875234	dineshkumar@uou.ac.in
Dr. Kalpana Patni Lakhera	Assistant Professor(Education)	05946 286074, 9412996449	klakera@uou.ac.in
Dr. Mamta Kumari	Assistant Professor(Education)	05946 286074, 9997457463	mtamta@uou.ac.in
Dr. Siddharth Pokhriyal	Assistant Professor (Special Education)	05946 286071, 9756644817	spokhariyal@uou.ac.in
Dr. Debki Sirola	Assistant Professor(Education)	8755058688	dsirola@uou.ac.in
Mrs. Manisha Pant	Assistant Professor (AC) (Gen.Education)	05946 286071, 9568967846	mpant@uou.ac.in
Dr. Dinesh Chandra Kandpal	Assistant Professor (AC) (Education)		
Ms. Bhawna Dhoni	Assistant Professor(AC) (Spe.Education)		
Ms. Suman Pilkhwai	Assistant Professor (AC) (Education)		
SCHOOL OF HUMANITIES			
Prof. Renu Prakash	Director	7302324006	rprakash@uou.ac.in
Dr. Devesh Kumar Mishra	Assistant Professor(Sanskrit) On Leave	05946 286068, 9794265167	dkmishra@uou.ac.in
Dr. Shashank Shukla	Assistant Professor(Hindi) On Leave	05946 286064, 9917157035	sshukla@uou.ac.in
Dr. Suchitra Awasthi	Assistant Professor(English)	05946 286065, 9410112792	sawasthi@uou.ac.in
Mr. Nagendra Singh Gangola	Assistant Professor (AC) (English)		ngangola@uou.ac.in
Dr. Nandan Kumar Tiwari	Assistant Professor(Jyotish)	05946 286063, 7351691747	nktiwari@uou.ac.in
Dr. Prabhakar Purohit	Assistant Professor (AC) (Sanskrit/Jyotish)	9015573686	ppurohit@uou.ac.in
Dr. Neeraj Kumar Joshi	Assistant Professor (AC) (Sanskrit/Jyotish)		nkjoshi@uou.ac.in
Dr. Rajendra Kaira	Assistant Professor(Hindi)	05946 286070, 9917371228	rkaira@uou.ac.in
Sri Pradeep Kumar	Assistant Professor (Music)	05946 286070	pradeepkumar@uou.ac.in
Mr. Dwijesh Upadhyay	Assistant Professor (AC) (Music)	05946 286070, 9759950626	dupadhyay@uou.ac.in
Mr. Ashok Chandra Tamta	Assistant Professor (AC) (Music)		ashoktamta@uou.ac.in
Mr. Jagmohan Pargai	Assistant Professor (AC) (Music)	8899293421	jpargien@uou.ac.in
Mohd. Afzal Husain	Assistant Professor (AC) (Urdu)	05946 286063, 8171555455	ahusain@uou.ac.in
Dr. Pritee Sharma	Assistant Professor (AC) (Library Sc.)	8318628810	psharma@uou.ac.in
Mr. Manglam Kumar Rastogi	Assistant Professor (AC) (Hindi)		
Mr. Shahper Sharif	Assistant Professor (AC) (Urdu)		
Dr. Anil Kumar	Assistant Professor (AC) (Hindi)		
Dr. Pramod Joshi	Assistant Professor (AC) (Jyotish)		
Mr. Prakash Chandra Arya	Assistant Professor (AC) (Music)		
Mr. Sunil Kumar Tripathi	Assistant Professor (AC) (Jyotish)		
Ms. Divya	Assistant Professor (AC) (Hindi)		
Ms. Pragya Dube	Assistant Professor (AC) (Sanskrit)		
SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES			
Prof. Girija Pande	Director	05946 286045, 9412351759	gpande@uou.ac.in
Prof. Renu Prakash	Professor (Sociology)	7302324006	rprakash@uou.ac.in
Dr. Madan Mohan Joshi	Associate Professor(History)	05946 286043,	mmjoshi@uou.ac.in
Dr. Deepak Paliwal	Assistant Professor(Sociology) On Leave	05946 286044, 9412906869	dpaliwal@uou.ac.in
Dr. Suryabhan Singh	Assistant Professor (Political Sc.)	05946 286042, 9410770312	sbhansingh@uou.ac.in
Dr. Neerja Singh	Assistant Professor(Social Work)	05946 286044, 9927145246	neerjasingh@uou.ac.in
Dr. Seeta	Assistant Professor (Psychology)	05946 286041, 9456142556	seeta@uou.ac.in
Ms. Shalini Chaudhary	Assistant Professor (Economics)	05946 286041, 9456316126	schaudhury@uou.ac.in
Dr. Ghanshyam Joshi	Assistant Professor (PublicAdmn.)	05946 286047, 9456370179	gjoshi@uou.ac.in
Dr. Bhavna Dobhal	Assistant Professor (AC) (Sociology)	05946 286041, 9411752610	bdobhal@uou.ac.in
Mr. Vikas Joshi	Assistant Professor (AC) (History)		
Dr.Ruchi Tiwari	Assistant Professor (AC) (Psychology)	05946 286041,	rtewari@uou.ac.in
Dr. Lalit Mohan Pant	Assistant Professor (AC) (Psychology)		
Dr. Bhagyashree Joshi	Assistant Professor (AC) (Psychology)		
Ms. Vinita Pant	Assistant Professor (AC) (Psychology)		
Dr.Namita Verma	Assistant Professor (AC) (Economics)	05946 286041,	nverma@uou.ac.in

Mr. Shubhankar Shukla	Assistant Professor (AC) (Pub. Admin)		
Ms Aarushi	Assistant Professor (AC) (Pol.Science)		
Mr. P.K.Chanyal	Assistant Professor (AC) (Pub. Admin)		
Mr. Amit Joshi	Assistant Professor (AC) (Economics)		
Dr. Gopal Singh Goniya	Assistant Professor (AC) (Sociology)		
Dr. Lata Joshi	Assistant Professor (AC) (Pol.Science)		
Mr. Sumit Singh	Assistant Professor (AC) (Pub. Admin)		
Dr. Hema Joshi	Assistant Professor (AC) (MSW)		
SCHOOL OF LAW			
Prof. A.K.Naveen	Director	9412314833	aknaveen@uou.ac.in
Dr. Deepankur Joshi	Assistant Professor (Law)	05946 286047,8979034323	deepankurjoshi@uou.ac.in
SCHOOL OF JOURNALISM & MEDIA STUDIES			
Prof. Renu Prakash	Director	7302324006	rprakash@uou.ac.in
Dr.Rakesh Rayal	Associate Professor(Journalism)	9410967600	rrayal@uou.ac.in
Dr. Bhupen Singh	Assistant Professor (Journalism)	05946 286072, 9456324236	bhupensingh@uou.ac.in
Mr. Rajendra Singh Kweera	Assistant Professor (AC) (Journalism)	05946 286069, 9837326427	rkwera@uou.ac.in
SCHOOL OF TOURISM , HOSPITALITY AND HOTEL MANAGEMENT			
Prof. R.C. Mishra	Director	05946 286051	rcmishra@uou.ac.in
Dr. Jatashankar R. Tewari	Associate Professor (Hotel Mgmt.)On Leave	05946 286046	jtewari@uou.ac.in
Dr. Akhilesh Singh	Assistant Professor(Tourism)	05946 286034, 7376651395	akhileshsingh@uou.ac.in
Dr. Subhash Ramola	Assistant Professor (AC) (Hotel Mgmt.)	9410593690	sramola@uou.ac.in
Dr. Ashish Tamta	Assistant Professor (AC) (Tourism)		
Ms.Priya Bora	Assistant Professor (AC) (Tourism)		
SCHOOL OF VOCATIONAL STUDIES			
Prof. Durgesh Pant	Director	9412375384	dpant@uou.ac.in
Dr. Gopal Datt	Assistant Professor (AC) (Vocational Studies)	05946 286047,9012972556	gdatt@uou.ac.in
SCHOOL OF LIBRARY & INFORMATION SCIENCE			
Prof. A.K.Naveen	Director	9412314833	aknaveen@uou.ac.in
Preeti Sharma	Assistant Professor (AC) Library Science	8318628810	psharma@uou.ac.in

3. विश्वविद्यालय

3.1 प्रस्तावना

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के व्यापक दर्शन की पृष्ठभूमि पर उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2005 में उत्तराखण्ड शासन के अधिनियम संख्या 23 द्वारा इस उद्देश्य से की गई कि समग्र ज्ञान और कला-कौशल की स्वयं सीख पाने की विविध विधाओं द्वारा सक्षमता लोगों तक पहुँचायी जा सके। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अपने अनेक नूतन, समसामयिक एवं उपयोगी शैक्षणिक कार्यक्रमों को सम्प्रेषण के नवीनतम प्रयोगों तथा सम्पर्क-सत्रों द्वारा अधिक सुदृढ़ बनाता रहा है। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य इस राज्य के त्वरित विकास एवं उन्नयन हेतु प्रशिक्षित एवं विभिन्न कौशलों में दक्ष उपयोगी मानव संसाधनों का विकास करना है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता में कभी किसी भी स्तर पर कोई समझौता न किया जाए। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में तीव्रता से हो रहे बदलावों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रमों को इस प्रकार पुनर्गठित किया है कि रोजगार एवं स्व-रोजगार के नित नए द्वार खुल सकें।

विश्वविद्यालय मुख्य रूप से महिलाओं, जनजातियों तथा मुख्य धारा से अलग वर्गों के शैक्षिक उन्नयन हेतु कटिबद्ध है। विश्वविद्यालय के निरन्तर होते विस्तार से इसकी पहुँच आज इस राज्य के सुदूरवर्ती एवं दुर्गम स्थलों तक हो गई है।

3.2 विश्वविद्यालय के उद्देश्य

विश्वविद्यालय राज्य के विकास में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए जो राज्य की समृद्ध परम्पराओं पर आधारित हो, राज्य की जनता की संस्कृति और उसके मानवीय संसाधनों की उन्नति और अभिवृद्धि के लिए शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण और विस्तारण के माध्यम से प्रयास करेगा। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह-

क) नियोजन की आवश्यकताओं से संबंधित तथा देश की अर्थव्यवस्था के, उसके प्राकृतिक और मानवीय साधनों के आधार पर, निर्माण के लिए आवश्यक उपाधि, डिप्लोमा, और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करेगा और उन्हें विविध प्रकार का बनाएगा;

ख) जनता के बड़े भागों और विशिष्टतया सुविधारहित समूह को, जैसे कि वे समूह जो दूरस्थ व ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, जिनके अन्तर्गत श्रमजीवी जनता, घरेलू महिलाएं और ऐसे वयस्क हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के माध्यम से ज्ञान बढ़ाने व अर्जित करने की इच्छा रखते हैं, उच्चतर शिक्षा तक उनकी पहुँच के लिए उपबन्ध करेगा;

ग) शीघ्रता से विकसित और परिवर्तित होने वाले समाज में ज्ञान के अर्जन का संवर्धन करेगा और मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों में नव-परिवर्तन, अनुसंधान, शोध के संदर्भ में ज्ञान, प्रशिक्षण और कुशलता बढ़ाने के लिए लगातार अवसर प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करेगा;

घ) ज्ञान के नये क्षेत्रों में विद्या की अभिवृद्धि करने और उसे विशिष्टतया प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विद्या के तरीकों और गति, पाठ्यक्रमों के मिश्रण, नामांकन की पात्रता, प्रवेश की आयु, परीक्षाओं के संचालन और कार्यक्रमों के प्रवर्तन के संबंध में सुनिश्चय और निर्बाध विश्वविद्यालय स्तर की नई प्रणाली के लिए उपबन्ध करेगा;

ड) औपचारिक पद्धति की अनुपूरक अनौपचारिक पद्धति का उपबन्ध करके और विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित पाठों और अन्य साफ्टवेयर का व्यापक रूप से उपयोग करके गुणवत्ता के अन्तरण को और शिक्षण कर्मचारियों के

3. The University

3.1 Introduction

Following the philosophy of Open and Distance Learning (ODL), Uttarakhand Open University (UOU) was established in the year 2005 (vide Act No. 23 of the Uttarakhand Government) with an objective to take education to the doorsteps of various sections of society. UOU is progressing leaps and bounds due to its new, innovative and useful educational programmes. All this has been made possible through the use of latest information and communication technology and contact sessions with our learners. The main objective of the University is to develop trained and skilled human resource for sustainable development and progress. However, to meet this goal the University has never compromised with the quality of education it imparts. Keeping in mind the fast changing trends in vocational and technical education, the University has developed its programmes in such a manner that they open doors of employment and self-employment to its learners.

The University mainly caters to the development of women, tribals and those sections of society which have been left out of main stream education. In a short time span of eleven years, the University has evolved considerably and has been successful in reaching out to the unreached.

3.2 Objectives of the University

The University shall endeavour through education, research, training and extension to play a positive role in the development of the State, and based on the rich heritage of the State to promote and advance the culture of the people of Uttarakhand and its human resources and towards this end, it shall :

a) strengthen and diversify the degree, diploma and certificate courses related to the needs of employment and necessary for building the economy of the country on the basis of its natural human resources;

b) provide access to higher education for large segments of the population, and in particular, the disadvantaged groups such as those living in remote and rural areas including working people, housewives and other adults who wish to upgrade or acquire knowledge through studies in various fields;

c) promote acquisition of knowledge in a rapidly developing and changing society and to continually offer opportunity for upgrading knowledge, training and skills in the context or innovations, research and discovery in all fields of human endeavours;

d) provide an innovative system of University level of education, flexible and open, in regard to method and pace of learning combination of courses, eligibility for enrolment, age of entry, conduct of examination and operation of programmes with a view to promote learning and encourage excellence in new fields of knowledge;

e) contribute to the improvement of the educational system by providing a non-formal channel complementary to the formal system and encouraging transfer of credits and excellence of

विनिमय को प्रोत्साहित करके शैक्षणिक पद्धति के सुधार में सहयोग देगा;

च) देश की विभिन्न कलाओं, शिल्पों और कुशलताओं में, उनकी गुणवत्ता में सुधार करके जनता के लिए उनकी उपलब्धता में वृद्धि करके शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उपबंध करेगा;

छ) ऐसे कार्यकलापों या संस्थाओं के लिए अपेक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उपबंध या प्रबंध करेगा;

ज) अध्ययन के यथोचित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए उपबंध करेगा और अनुसंधान को बढ़ावा देगा;

झ) अपने छात्रों के लिए परामर्श एवं मार्गदर्शन के लिए उपबंध करेगा; और

ञ) अपनी नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता व मानव व्यक्तित्व के समन्वित विकास में वृद्धि करेगा।

3.3 विद्याशाखाएं

वर्तमान में, विश्वविद्यालय 14 विद्याशाखाओं एवं 48 विभागों के माध्यम से विभिन्न शैक्षिक पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है। ये विद्याशाखाएं निम्नलिखित हैं:

- 1) कृषि एवं विकास अध्ययन
- 2) कम्प्यूटर साइंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी
- 3) स्वास्थ्य विज्ञान
- 4) विज्ञान
- 5) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान
- 6) प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य
- 7) शिक्षाशास्त्र
- 8) मानविकी
- 9) समाज विज्ञान
- 10) विधि
- 11) पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन
- 12) पर्यटन, आतिथ्य एवं होटल प्रबंधन
- 13) व्यावसायिक अध्ययन
- 14) भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान

इसके अतिरिक्त हिमालयी अध्ययन केंद्र, गांधी अध्ययन एवं शांति केंद्र, भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं सुदूर संवेदी अनुप्रयोग केंद्र तथा मानवीय तथा नैतिक मूल्य केंद्र की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है कि शोधपरक एवं विशिष्ट अध्ययन किया जा सके।

3.4 पाठ्यक्रमों की क्रेडिट प्रणाली

इस व्यवस्था में एक (01) क्रेडिट का अभिप्राय 30 घण्टे के छात्र-अध्ययन के बराबर माना जाता है, जिसमें समस्त अध्ययन गतिविधियां शामिल हैं, जैसे: पढ़ने और स्वअध्ययन सामाग्री (SLM) को समझने, ऑडियो को सुनने, वीडियो देखने, परामर्श सत्र में भाग लेने, दूरसंवाद और सत्रीय कार्य लेखन इत्यादि।

3.5 पाठ्यक्रमों का संचालन

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षण पाठ्यक्रम मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र तथा शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों की त्रिस्तरीय व्यवस्था द्वारा संचालित होते हैं। राज्य के विभिन्न भागों में स्थित क्षेत्रीय केन्द्र विश्वविद्यालय के मुख्यालय द्वारा नियन्त्रित तथा निर्देशित होते हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय केन्द्र अपने क्षेत्र में स्थित

teaching staff by making wide use of texts and other software developed by the University;

f) provide education and training in the various arts, crafts and skills of the country, raising their quality and improving their availability to the people;

g) provide or arrange training of teachers required for such activities or institutions;

h) provide suitable Post-graduate courses of study and promote research;

i) promote the counseling and guidance to its students; and

j) promote national integration and the integral development of the human personality through its policies and programmes.

3.3 The Schools of Studies

At present, the University is running various programmes through 14 Schools of Studies and 48 Departments. These Schools are as follows:

- 1) Agriculture and Development Studies
- 2) Computer Science and IT
- 3) Health Science
- 4) Science
- 5) Library and Information Science
- 6) Management Studies and Commerce
- 7) Education
- 8) Humanities
- 9) Social Science
- 10) Law
- 11) Journalism and Media Studies
- 12) Tourism, Hospitality and Hotel Management
- 13) Vocational Studies
- 14) Earth and Environment Science

Besides the above mentioned Schools of Studies, various research Centres like Centre for Himalayan Studies, Centre for Gandhian Studies & Peace, Centre for Remote Sensing and GIS Application and Centre for Human Values and Ethics have been established under different Schools in order to augment research and focused studies.

3.4 Credit System of Programmes

In this system, 01 credit is equivalent to 30 hours of self-study. This comprises all learning activities i.e., reading and comprehending the SLM, listening to audio, watching video, attending counselling sessions, teleconference and preparing assignments.

3.5 Programme Delivery

The educational programmes of the University operate on a three tier arrangement, i.e., University Headquarter, Regional Centres and Learner Support Centres. The Regional Centres located in different parts of the state are administered by the University Headquarters. Every Regional Centre acts as a coordinating

शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों और विश्वविद्यालय के बीच समन्वय तथा सक्रिय सहयोग की भूमिका निभाते हैं। शिक्षार्थी सहायता केन्द्र विश्वविद्यालय के लिए अकादमिक एवं प्रशासनिक कार्यों में सक्रिय सहयोग करते हैं। समस्त शिक्षण कार्यों का संचालन विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों से ही होता है।

3.5.1 स्व-अध्ययन सामग्री (एस.एल.एम.)

विश्वविद्यालय में हिन्दी या अंग्रेजी, जिस माध्यम में पाठ्य सामग्री उपलब्ध होगी, उसी माध्यम में शिक्षार्थी को उपलब्ध करायी जायेगी, हालांकि शिक्षार्थी अंग्रेजी या हिन्दी किसी भी माध्यम में परीक्षा दे सकेगा।

3.5.2 ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज (ओईआर)

ओईआर बौद्धिक सम्पदा लाइसेंस के तहत पब्लिक डोमेन में जारी की गई वह शिक्षण, अध्ययन एवं शोध से संबंधित सामग्री है जो उसके अन्य द्वारा प्रयोग, पुनः प्रयोग की निःशुल्क अनुमति देती है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के अन्तर्गत ज्ञान तक पहुंच बनाने के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम सामग्री, मॉड्यूलस, पाठ्य पुस्तक, वीडियो तथा अन्य साधन, सामग्री, या तकनीकों का प्रयोग किया जाता है।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की भी अपनी ओईआर पॉलिसी है, जिसके तहत <http://elearning.uou.ac.in/> नाम का ओईआर पोर्टल विकसित किया गया है, यहां से शिक्षार्थी अपनी शिक्षण सामग्री में पहुंच बना सकता है और अपने स्मार्ट फोन, लैपटॉप अथवा डेस्क टॉप कम्प्यूटर में सामग्री को डाउनलोड कर सकता है। इस ओईआर पोर्टल में दो खण्ड हैं, प्रथम खण्ड (<http://elearning.uou.ac.in/course/index.php?categoryid=20>) स्व-अध्ययन सामग्री खण्ड है, और दूसरा खण्ड ओईआर खण्ड है

(<http://elearning.uou.ac.in/course/index.php?categoryid=6>)। विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा विकसित अध्ययन सामग्री, स्व-अध्ययन सामग्री खण्ड में है। शिक्षार्थी इस सामग्री तक विश्वविद्यालय के आइसीटी विभाग द्वारा दिये जाने वाले पासवर्ड द्वारा पहुंच बना सकता है। ओईआर खण्ड में कोई भी, बिना किसी पासवर्ड के अध्ययन सामग्री तक पहुंच बना सकता है।

3.5.2.1 मूक

विश्वविद्यालय द्वारा बीसीए कार्यक्रम में मूक का विकल्प भी प्रारंभ किया जा रहा है, इच्छित शिक्षार्थी यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध मूक कार्यक्रम (MOOC) की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.uou.ac.in) पर देख सकते हैं। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय, यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित क्रेडिट ट्रांसफर की नीति का पालन किया जायेगा।

3.5.3 परामर्श सत्र एवं सत्रीय कार्य

पाठ्यक्रमों की निर्धारित क्रेडिट्स के अनुरूप आवश्यक परामर्श सत्रों तथा सत्रीय कार्यों (असाइनमेन्ट्स) का विवरण निम्नवत हैं-

agency between the University and the various Learner Support Centres. The Learner Support Centres, in turn, discharge both academic and administrative duties. All the counselling related activities are carried out by the various Learner Support Centres.

3.5.1 Self Learning Materials (SLM)

The study material available in Hindi or English medium, what so ever shall be distributed to the learner, however learner may opt Hindi or English as medium of examination.

3.5.2 Open Educational Resources (OER)

OERs are teaching, learning, and research resources that reside in the public domain or have been released under an intellectual property license that permits their free use and re-purposing by others. Open educational resources include full courses, course materials, modules, textbooks, streaming videos and any other tools, materials, or techniques used to support access to knowledge."

Uttarakhand Open University has own OER policy and developed OER portal named <http://elearning.uou.ac.in/> where the learners can access course materials and download the course materials in his own devices such as smart phone, laptop and desktop computer.

In this OER portal there are two sections one is SLM (<http://elearning.uou.ac.in/course/index.php?categoryid=20>) section and another is OER section (<http://elearning.uou.ac.in/course/index.php?categoryid=6>). The SLM developed by faculty members reside in the SLM section. The learner can access the SLM through user id and password which is provided by the ICT department. In OER section anyone can direct access the course materials without any user id and password.

3.5.2.1 MOOC

The University is offering an option of MOOC in the **BCA programme**, Interested learners may visit the University Website (www.uou.ac.in) for UGC approved SWAYAM portal containing MOOC list. In this regard University shall abide by the UGC approved Credit transfer Policy.

3.5.3 Counselling Sessions and Assignments

Counselling sessions and assignments as per the number of credits of the respective programmes are provided as under:

Credits Defined for the Subject (विषय के लिए निर्धारित) क्रेडिट	Total study hours duration based on credit (hrs.) (क्रेडिट के आधार पर कुल अध्ययन अवधि) (घंटों में)	Counselling Sessions- 10% of total study hours (परामर्श सत्र-कुल अध्ययन के लिए निर्धारित घंटों का 10 %)	Minimum number of Assignment (न्यूनतम सत्रीय कार्यों की संख्या)
02	60	06	01
04	120	12	02
06	180	18	03

3.5.4 ऑडियो – विजुअल सामग्री

दूरस्थ शिक्षा को रोचक एवं प्रभावशाली बनाए जाने हेतु ऑडियो-विजुअल व्याख्यानो को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है (इकाई एवं ब्लाक के अनुसार)। इसमें से कुछ सामग्री ऑनलाइन भी उपलब्ध है। विश्वविद्यालय की योजना है कि 'एड्यूसेट' तथा अन्य माध्यमों से माध्यम से ऑडियो-विजुअल व्याख्यानो को प्रसारित करें ताकि विद्यार्थी इन्हें कहीं भी देख सकें।

3.5.5 कार्यशाला / प्रयोगात्मक कार्यशाला / परियोजना कार्य

विज्ञान, शिक्षा, समाज कार्य, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में कार्यशाला / प्रयोगात्मक कार्यशालाओं का प्रावधान किया गया है ताकि शिक्षार्थी की प्रायोगिक समझ विकसित हो सके। इसके अतिरिक्त कुछ पाठ्यक्रमों में परियोजना कार्य पाठ्यक्रम के अनिवार्य भाग के रूप में शामिल किया गया है ताकि शिक्षार्थी के प्रायोगिक / व्यावहारिक / शोधपरक ज्ञान में वृद्धि हो सके।

3.6 सहायक सेवाएं

3.6.1 निदेशालय, क्षेत्रीय सेवाएं (आर0एस0डी0)

निदेशालय, क्षेत्रीय सेवाएं मुख्यालय में अवस्थित है। यह निदेशालय क्षेत्रीय केंद्रों और शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों के संचालन हेतु नीति निर्धारण और नियमन करता है।

3.6.2. क्षेत्रीय केंद्र

क्षेत्रीय केंद्रों का कार्य शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों एवं विश्वविद्यालय के बीच शैक्षिक पाठ्यक्रमों हेतु समन्वय स्थापित कर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों को उत्तराखण्ड के दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना है। ये केंद्र सामान्यतः भौगोलिक पहुँच एवं शिक्षार्थी सहायता केंद्रों की स्थिति की दृष्टि से बीच की जगह में स्थापित किए गए हैं। ऐसे आठ क्षेत्रीय केंद्र, जिसमें से चार गढ़वाल मंडल में (देहरादून, रूड़की, पौड़ी एवं उत्तरकाशी) तथा चार कुमाऊं मंडल (रानीखेत, हल्द्वानी, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़) में स्थापित किए गए हैं। इन क्षेत्रीय केंद्रों के अन्तर्गत शिक्षार्थी सहायता केंद्रों के माध्यम से शैक्षिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है।

3.6.3 शिक्षार्थी सहायता केंद्र

शिक्षार्थी सहायता केन्द्र मुक्त विश्वविद्यालयी शिक्षण पद्धति की प्राथमिक इकाई है। विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय सेवा प्रभाग के द्वारा समुचित कार्यवाही के उपरांत शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों की स्थापना की जाती है। प्रत्येक अभ्यर्थी को अपनी सुविधानुसार शिक्षार्थी सहायता केन्द्र चुनने की स्वतन्त्रता होती है। छात्रों के प्रवेश के साथ-साथ उनके लिए परामर्श सत्रों तथा प्रयोगात्मक कार्यों की व्यवस्था भी शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों द्वारा ही की जाती है। इन केंद्रों के माध्यम से प्रत्येक शिक्षार्थी अपने विश्वविद्यालय से निरन्तर सम्बद्ध रहता है।

3.6.4 आदर्श शिक्षार्थी सहायता केन्द्र (कोड 16000, 11000)

विश्वविद्यालय मुख्यालय हल्द्वानी तथा देहरादून परिसर में दो आदर्श शिक्षार्थी

3.5.4 Audio – Visual Aids

In order to make ODL interesting and effective, efforts are being made to develop audio/ video materials and some of the lectures are also available online. Now that the University has access to the educational satellite EDUSAT, it will start broadcasting lectures to our learners and the learners will be able to view them irrespective of their geographical location.

3.5.5 Workshops/Laboratory Workshops/Project Activity

In order to provide hands on / practical understanding of the subject, workshops/ laboratory workshops are organized in Science, Education, Social Work, Management, Yoga and Naturopathy Programmes. Furthermore, in some programmes, project activity is a compulsory part of the programme as it not only provides field exposure but also enhances the practical/field/research understanding of the learners.

3.6 Support Services

3.6.1 Directorate of Regional Services (RSD)

Directorate, Regional Services is located in University Headquarters in Haldwani. Directorate regulates and frames policies for Regional Centre and Learner Support Centres.

3.6.2. Regional Centres

Coordination between the different Learner Support Centres and the University is ensured by Regional Centres. These centres also help in disseminating information about the programmes offered by the University to the learners residing in far-flung areas of Uttarakhand. At present, the University has eight (08) Regional Centres, of which four (04) are located in the Garhwal region, viz., Dehradun, Roorkee, Pauri, Uttarakashi and four (04) in the Kumaun region, viz., Ranikhet, Haldwani, Bageshwar, Pithoragarh. The educational programmes of the University are offered through Learner Support centres under these eight regional centres.

3.6.3 Learner Support Centre

The primary unit of the Open University Education System is the Learner Support Centre. Each learner has the freedom to opt for the Learner Support Centre of his/ her choice. In addition to dealing with the admission related matters of the University, the Learner Support Centres also arrange counselling and laboratory sessions for its learners. In this manner, each learner remains connected with the University.

3.6.4 Model Learner Support Centres (Code Nos. 16000, 11000)

Two Model Learner Support Centres, one at the University

सहायता केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

विशेष अध्ययन केन्द्र

- शहीद सैनिकों की विधवाओं को पाठ्यक्रम शुल्क में पूर्ण छूट, केवल इन्दिरा प्रियदर्शिनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी में प्रवेश लेने पर दी जायेगी तथा अन्य विशेष अध्ययन केन्द्रों में पाठ्यक्रम शुल्क में 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
- ऐसी महिलाएं जो 50 प्रतिशत दिव्यांग हैं को पाठ्यक्रम शुल्क में पूर्ण रूप से छूट प्रदान की जायेगी।
- केवल राजकीय महाविद्यालय, मुनस्यारी एवं सरदार महिपाल राजेन्द्र डिग्री कालेज, सहिया में प्रवेश लेने वाली अनुसूचित जनजाति श्रेणी की महिलाओं को पाठ्यक्रम शुल्क में 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
- पाठ्यक्रम शुल्क के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क आदि में कोई छूट देय नहीं होगी।
- कारागारों में स्थित विशेष अध्ययन केन्द्रों में प्रवेश लेने वाले कैदियों को पाठ्यक्रम शुल्क एवं परीक्षा शुल्क आदि में पूर्ण रूप में छूट प्रदान की जायेगी।

3.6.5 सरकारी महाविद्यालयों में यू.ओ.यू. शिक्षार्थी सहायता केंद्र

यू.जी.सी. निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय के शिक्षार्थी सहायता केंद्र स्थापित कर रहा है।

3.7 मूल्यांकन हेतु ग्रेडिंग प्रणाली

परीक्षा में सम्मिलित प्रत्येक पंजीकृत शिक्षार्थी का मूल्यांकन निम्नवत होगा: आधार पाठ्यक्रमों, सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कार्यक्रमों में सत्रीय कार्य नहीं होगा, अन्य कार्यक्रमों के परीक्षार्थी के सत्रीय कार्य तथा लिखित परीक्षा का पृथक-पृथक मूल्यांकन किया जाएगा जिसके लिए क्रमशः 20 प्रतिशत तथा 80 प्रतिशत अंक होंगे जिन विषयों में मात्र प्रयोगात्मक कार्य, प्रक्षेत्र कार्य, गोष्ठियाँ अथवा प्रोजेक्ट कार्य निर्धारित है उनमें मूल्यांकन 100 अंकों के आधार पर होगा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सत्रीय कार्य एवं लिखित परीक्षा में अलग-अलग कम से कम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। सत्रीय कार्य शिक्षार्थी सहायता केन्द्र पर जमा किए जाएंगे तथा वहीं पर परामर्शदाताओं द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाएगा। यह कार्य क्षेत्रीय निदेशकों की सतत निगरानी में होगा।

कृपया प्रवेश से पूर्व यह जांचें कि आपके प्रमाण पत्र वैध हैं और आप प्रवेश की निर्धारित अर्हता रखते हैं।

4.1 प्रवेश नियम

उत्तराखण्ड राज्य में स्थित अधिकृत शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों में लिया गया प्रवेश ही मान्य होगा।

विश्वविद्यालय में पंजीकृत किसी भी पाठ्यक्रम के शिक्षार्थी अपने अगले सेमेस्टर या कक्षा में बिना परीक्षा परिणाम / अंकतालिका के प्रवेश ले सकते हैं।

Headquarters and another at the Dehradun Campus, have been established for the benefit of the learners.

Special Study Centers

- War widows shall get total fee relief in program fee, if taken admission in Indira Priyadarshini P.G.College,Haldwani, however they shall get 15% relief in program fee if taken admission in other special Study centers.
- Women with 50% or more disability shall get total relief in program fee.
- Women of scheduled tribe shall get 15% of relief in program fee if taken admission in Govt. Degree College, Munshiyari and Sardar Mahipal Rajendra Degree College Sahiya only.
- Except program fee there shall be no relief in examination fee etc.
- The Jail inmates in special study centers at Jails shall get total fee relief in program fee, examination fee etc.

3.6.5 UOU Learner Support Centres at Govt. PG Colleges

The University is establishing Learner Support centres in Government PG Colleges as per UGC regulations.

3.7 Grading System of Evaluation

Every enrolled learner who has appeared in examination will be evaluated as under:

There shall be no Assignment work in the foundation courses, Certificate Programmes and Diploma Programmes except few.Other then these the performance of every learner will be evaluated on the basis of marks scored separately in assignments and the term-end papers. Assignment work will carry 20 marks and the term end paper 80 marks. In those subjects, where laboratory, field or project work is carried out, the students will be evaluated out of 100 marks. It is compulsory to attain at least 35% marks separately, both in the assignments as well as in the term-end papers. Assignments are submitted to the concerned Learner Support centres and these will be evaluated by the concerned counsellors. This activity will be strictly monitored by the Regional Directors.

Please check before admission that your certificates are valid and you carry the prescribed eligibility.

A learner enrolled in any Programme of the University may seek admission in next semester or class even before declaration of result or issue of marksheet.

4.1 Admission Rules

Admission only at authorised Learner Support within the Uttarakhand State will be accepted

प्रवेश आवेदन पत्र भरने से पहले कृपया ध्यान दें (बिन्दु 1 से 3 का पालन न करने पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा)

- प्रवेश आवेदन पत्र में केवल स्वयं का मोबाइल फोन नम्बर दें, एक मोबाइल फोन नम्बर से केवल एक ही आवेदक को प्रवेश दिया जायेगा।
- प्रवेश आवेदन पत्र में केवल स्वयं का ई-मेल आई-डी दें, एक ई-मेल आई-डी से केवल एक ही आवेदक को प्रवेश दिया जायेगा।
- प्रवेश आवेदन पत्र में केवल स्वयं का आधार नम्बर दें।

4.1.1 अकादमिक सत्र

विश्वविद्यालय में वर्ष में एक अथवा दो बार प्रवेश दिया जाएगा। पाठ्यक्रम वार्षिक परीक्षा प्रणाली या सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली पर आधारित होंगे। सेमेस्टर प्रणाली में सेमेस्टर की अवधि छः माह होगी। -

1. ग्रीष्म कालीन सत्र -

प्रवेश तिथि

प्रवेश	सत्र
	ग्रीष्मकालीन सत्र
आरम्भ की तिथि	
प्रवेश आरम्भ की तिथि	01 अगस्त
प्रवेश की अंतिम तिथि	31 अक्टूबर

4.1.2 ऑनलाइन प्रवेश

सभी पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाइन प्रक्रिया में शुल्क का भुगतान पेमेंट गेटवे (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग) के माध्यम से किया जाना होगा।

‘आनलाइन’ प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी अपने मूल प्रपत्रों को स्कैन कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे एवं दिये गये प्रारूप में अपने हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। ‘ऑफलाइन’ प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ अपने मूल प्रपत्रों की छाया प्रतियों को स्वप्रमाणित लिख आवेदन पत्र के प्रारूप में स्व-हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।

- ऑनलाइन प्रवेश में शिक्षार्थी को मूल प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
- ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्रों की प्रति शिक्षार्थी सहायता केन्द्र में जमा करने की बाध्यता समाप्त होगी।

4.1.3 ऑनलाइन पाठ्य सामग्री चाहने वाले छात्रों के लिए

यदि कोई शिक्षार्थी ऑनलाइन पाठ्य सामग्री चाहता है (पाठ्यसामग्री विश्वविद्यालय की वेबसाइट के पोर्टल elearning.uou.ac.in से डाउनलोड करना होगा, विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकें उपलब्ध नहीं करायी जायेंगी) तो ऐसे शिक्षार्थी को उसके कार्यक्रम के चुने हुए वर्ष के कार्यक्रम शुल्क में 15% की छूट प्रदान की जायेगी।

4.1.4 नामांकन

4.1.1 Academic Session

There shall be one or two admission cycles of examination. The programmes are offered either in semester or annual examinaion mode. In semester mode, one semester lasts for six months.

1. Summer Session (

Date of Admission

Admission	Session
	Summer Session
Opening date	
Admission Opening Date	01 August
Admission Closing date	31 October

4.1.2 Online Admission

Online admission is available in all programmes. In this mode the fee can be paid only through the payment gateway (debit/credit card or Net Banking).

The applicants taking admission through Online mode shall attach their scanned original documents with the application form and **submit a signed certificate in the given format.** The applicants taking admission through Offline mode shall enclose the self attested photocopies of their original document and attested photocopies of their original document and a signed certificate in the given form.

- In case of the online admission scanned copies of the original testimonials shall be uploaded by the learners.
- Compulsion of submission of hard copies of online admission form is revoked.

4.1.3 Students opting for online Course material

If the learner opting for the online course material(The SLM shall have to be downloaded from the University Website portal elearning.uou.ac.in and hard copy of the course material shall not be provided by the University) shall be given 15% discount on the programme fee for the selected year.

4.1.4 Enrollment

विश्वविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक का नामांकन स्वतः हो जायेगा और एक नामांकन संख्या आवंटित की जाएगी जो अभ्यर्थी के लिए परिचायक का काम करेगी। नामांकन संख्या का आवंटन प्रथम प्रवेश परीक्षा में किया जाएगा जिसका उल्लेख अंक तालिका, प्रमाणपत्र एवं उपाधिपत्र में किया जाता है। ऑफलाइन आवेदकों की प्रविष्टि शिक्षार्थी सहायता केन्द्र द्वारा की जायेगी।

4.1.5 पुनः प्रवेश

विस्तृत जानकारी के लिए देखें www.uou.ac.in

4.1.6 पार्श्व प्रविष्टि

विस्तृत जानकारी के लिए देखें www.uou.ac.in

4.1.7 शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन संबंधी नियम

- दिव्यांग शिक्षार्थी का शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन निःशुल्क किया जाये।
- शिक्षार्थियों के शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् 30 दिनों के भीतर निःशुल्क किया जायेगा।
- निःशुल्क परिवर्तन की 30 दिनों की अवधि के पश्चात् अगले 30 दिनों तक शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन करने पर शिक्षार्थी अध्ययन केन्द्र के माध्यम से आवेदन पत्र प्रेषित करेगा तथा अदेय प्रमाण पत्र संलग्न करेगा। रूपया 1000/- शुल्क के साथ शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन किया जा सकेगा। यद्यपि ऐसे प्रकरणों पर विश्वविद्यालय विचार करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।
- तत्पश्चात् सत्र पूरा होने तक शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा
- असाधारण परिस्थिति में किसी शिक्षार्थी सहायता केन्द्र के स्वतः बन्द होने या विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षार्थी सहायता केन्द्र बन्द किए जाने की स्थिति में शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन निःशुल्क किया जाये।
- विशेष परिस्थिति में शिक्षार्थी के अभिभावक या स्वयं विद्यार्थी का स्थान परिवर्तन होने पर, किसी छात्रा के विवाह हो जाने की स्थिति में कुलपति जी की विशेष अनुमति पर रूपया 1000/- शुल्क के साथ शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन किया जा सकेगा।
- शिक्षार्थी को प्रवेश के लिए आधार कार्ड/ पासपोर्ट/ अन्य संवैधानिक पहचान पत्र आवश्यक होगा।

4.1.8 पहचान पत्र

शिक्षार्थी प्रवेश के उपरांत विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अपना पहचान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

4.1.9 प्रवेश में आरक्षण की नीति

विश्वविद्यालय में प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आरक्षण के नियम लागू होंगे।

4.1.10 शुल्क वापसी

- आरक्षित श्रेणी के शिक्षार्थी की शुल्क वापसी के आवेदन पत्रों, जो निर्धारित तिथि तक प्राप्त होंगे, को विश्वविद्यालय द्वारा शासन के संबंधित विभाग की शुल्क

After seeking admission in the University, each online applicant will be issued an enrollment number automatically. The enrollment number acts as a unique identification number. The enrollment number is issued only once and is mentioned on the marksheets, certificates and degrees of the learners. Offline applicants shall be given enrollment through their Learner Support centers.

4.1.5 Re-admission

For details see the website www.uou.ac.in

4.1.6 Lateral Entry

For details see the website www.uou.ac.in

4.1.7 Rules for Change in Learner Support Centre

- Change of study center for physically challenged learner shall be of free of cost.
- Change of learner support center shall be free of cost within 30 days from the last date of admission.
- After the 30 days of free of cost change of learner support center, in the following 30 days change of learner support center shall be allowed if the learner applies through learner support center with no dues certificate of the center and Rs. 1000/- as fee for the change of learner support center. Such application shall be decided upon by the University and its decision shall be final.
- After this period no change of learner support center shall be allowed till the end of the Session.
- In an extra ordinary situation like self closure of the learner support center or Closure of learner support center by the University, the change of learner support center shall be free of cost.
- In the special cases like transfer of guardian or transfer of student itself or marriage of a female student, change of learner support center shall be allowed with due permission of Vice Chancellor and a fee of Rs. 1000/- .
- Aadhar card/ passport/other legal identity card shall be mandatory for the admission.

4.1.8 Identity Card

Student can download Identity card from the website of the University.

4.1.9 Policy of Reservation in Admission

Reservation Policy of the State Government will be applicable in admission.

4.1.10 Fee Reimbursement

- As per the fee refund scheme, the application of the learners from reserved category is forwarded to the

वापसी योजना के अनुरूप शासन के संबंधित विभाग को अग्रसारित किया जाता है।

- शिक्षार्थी द्वारा यदि वैबसाइट/विवरणिका में दिये गये शुल्क वापसी प्रपत्र के अतिरिक्त साधारण प्रपत्र पर शुल्क वापसी के लिए आवेदन किया गया हो तो उस पर भी विचार किया जा सकता है।
- शिक्षार्थी की शुल्क वापसी केवल उसी सत्र में मान्य होगी जिस सत्र में उसने प्रवेश लिया है।
- प्रवेश की अन्तिम तिथि के दो माह के भीतर शुल्क वापसी की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाये।
- किसी कार्यक्रम में प्रवेश में यदि तकनीकी कारणों से भुगतान दो बार हो जाता है तो ऐसी स्थिति में एक भुगतान वापस किया जायेगा।
- शुल्क वापसी के ऐसे आवेदन पत्र जिनका शुल्क भुगतान चालान द्वारा किया गया हो, यदि एस.आई.एस. में प्रविष्टि से पहले प्राप्त हो जाते हैं तो सम्पूर्ण शुल्क की वापसी की जायेगी।
- विश्वविद्यालय में प्रवेश आवेदन पत्र की प्रविष्टि न होने 100 प्रतिशत शुल्क वापसी
- विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम न चलाया जा रहा हो तो का 100 प्रतिशत शुल्क वापस किया जायेगा
- यदि शिक्षार्थी द्वारा अध्ययन सामग्री दिये जाने के पूर्व प्रवेश निरस्त हेतु अनुरोध किया गया हो तो सम्पूर्ण शुल्क का 90 प्रतिशत वापस किया जायेगा।
- अध्ययन सामग्री दिये जाने के पश्चात यदि शिक्षार्थी द्वारा प्रवेश निरस्त एवं शुल्क वापसी हेतु अनुरोध किया गया हो तो ऐसे आवेदन पर सम्पूर्ण शुल्क का 50 प्रतिशत वापस किया जायेगा यदि शिक्षार्थी द्वारा पुस्तकें वापस कर दी गई हों।
- अनुचित/असत्य/अयोग्य प्रमाणपत्रों के आधार पर लिए गये प्रवेश को विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने पर शुल्क वापसी नहीं होगी।
- कार्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त एवं भविष्य में कोई अन्य कार्यक्रम न करने की स्थिति में शिक्षार्थी की यदि कोई राशि अवशेष है तो उसे विद्यार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर वापस किया जायेगा।
- ऐसे शिक्षार्थी को उनकी अवशेष राशि कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात केवल एक वर्ष के भीतर ही दावा करने पर वापस की जा सकेगी।
- * **सम्पूर्ण शुल्क** का तात्पर्य समस्त शुल्क से है जिसके अन्तर्गत कार्यक्रम, प्रोजेक्ट, कार्यशाला, परीक्षा, प्रयोगात्मक, मौखिकी, डिग्री और विविध शुल्क सम्मिलित हैं।

4.1.11 पाठ्यक्रम / विषय / कोर्स में परिवर्तन

- प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात एक माह के अंदर अध्ययन केन्द्र से पाठ्यसामग्री का अदेय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ऐच्छिक विषय/ पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जा सकेगा।
- शिक्षार्थी को नये कार्यक्रम की अर्हता से संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत करने पड़ेंगे।
- पाठ्यक्रम में परिवर्तन का प्रावधान प्रवेश-परीक्षा के द्वारा प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थी पर लागू नहीं होगा।
- पाठ्यक्रम परिवर्तन की दशा में यदि नए पाठ्यक्रम / विषय का शुल्क कम तो आधिक्य का समायोजन नहीं किया जाएगा तथा चाहे गए पाठ्यक्रम का शुल्क पूर्व

Concerned Department.

- Application for fee refund shall be accepted in the prescribed *Fee Reimbursement Form* given in the website/prospectus as well as in a plain paper.
- Reimbursement of fee shall be applicable only in that session in which admission is sought.
- Process of reimbursement of fee is to be completed within two month after the last date of admission.
- If due to a technical problem double-payment is made through digital payment, in such a situation one payment shall be refunded.
- If the application of cancellation of those admission forms whose payment is made by challan is received before the application entry in SIS then total fee shall be refunded.
- If the entry of admission form is not done in the University, then 100% fee shall be refunded.
- If the University suspends/closes a Programme then 100% of the **grand total*** of fee shall be refunded.
- If the learner requests for cancellation of admission before the study material have been delivered then 90% of the grand total of fee shall be refunded.
- If the learner requests for cancellation after the study material have been delivered then 50% of the grand total of fee shall be refunded if the student returns the books.
- If admission is cancelled by the University on the ground of wrong/fake/ineligible certificates then fee shall not be refunded.
- In a situation like completion of a programme by a learner who is not interested in doing other programme in the future if any extra amount is due on the University, that shall be refunded on the application of such learner.
- Such amount shall be refundable on the application of the learner within a year after the completion of the programme only.

* Grand Total means total fees which include

Program fee, project, workshop, examination, Practicle, viva-voce, degree etc.

4.1.11 Change in Programme/ Subject/ Course

- Subject/Programme change shall be permitted within one month after the last date of admission in this session if no dues certificate from the study center is produced.
- The learner shall have to produce eligibility documents regarding the new programme.
- Programme change shall not be applicable for the learners who have obtained admission through entrance test.
 - In the case of change in programme/ subject, if the new

के पाठ्यक्रम से अधिक है तो अतिरिक्त शुल्क शिक्षार्थी द्वारा जमा किया जाएगा। दोनों ही दशा में पाठ्यक्रम परिवर्तन शुल्क अतिरिक्त देय होगा।

programme or subject has a lower fee than the programme / subject opted earlier, then the remaining amount will not be adjusted and if the desired programme / subject has a higher fee than the previous programme/ subject opted for by the learner, then s/he will have to pay an additional fee. In both the cases, the fee for change in programme / subject will be payable additionally.

उक्त व्यवस्था हेतु शुल्क का निर्धारण इस प्रकार किया गया है:

शिक्षार्थी सहायता केंद्र परिवर्तन हेतु: रूपये 1000.00

पाठ्यक्रम परिवर्तन हेतु: रूपये 500.00

विषय परिवर्तन हेतु: रूपये 200.00

As per the above mentioned arrangement, the fee is determined as under:

Change of Learner Support Centre: Rs. 1000/-

Change of Programme: Rs. 500/-

Change of Subject:Rs. 200/-

दो विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश /परीक्षा से सम्बन्धी

Admission/Examination in two different Programmes

यदि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी पाठ्यक्रम में नामांकित किसी शिक्षार्थी द्वारा ऐसे पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष/सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत इस पाठ्यक्रम को स्थगित रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लिए जाने हेतु आवेदन किया जाता है, तो इस हेतु निम्न शर्तों के अधीन अनुमति होगी:

If a learner is enrolled in any programme and having passed the first year / semester examination, wishes to suspend that programme and apply for admission in a new programme, he/she can do so if s/he fulfills the following conditions:

- शिक्षार्थी द्वारा पहले प्रवेश लिए गए पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष/सेमेस्टर को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही इस प्रकार के आवेदन स्वीकार्य होंगे।
- प्रथम पाठ्यक्रम को स्थगित किए जाने तथा किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने हेतु शिक्षार्थी द्वारा प्रवेश हेतु घोषित तय समयावधि के अंतर्गत निदेशक प्रवेश को विधिवत् आवेदन किया जाना होगा।
- प्रथम प्रवेश पाठ्यक्रम के स्थगन एवं द्वितीय पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति उपरांत शिक्षार्थी द्वारा द्वितीय प्रवेश लिए गए पाठ्यक्रम को नियमानुसार पूर्ण करना होगा एवं द्वितीय पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के उपरांत ही पूर्व में स्थगित रखे गए पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष/सेमेस्टर में पुनः प्रवेश की अनुमति होगी।
- उक्तानुसार अनुमति प्रदान किए गए दोनों पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु उतनी ही समयावधि मान्य होगी जितनी कि प्रथम प्रवेश पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु अनुमन्य है।
उदाहरणस्वरूप- यदि शिक्षार्थी द्वारा प्रथम बार एम0ए0 पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जाता है जिसको पूर्ण करने हेतु शिक्षार्थी को कुल 6 वर्ष की समयावधि नियमानुसार अनुमन्य है एवं शिक्षार्थी द्वारा एम0ए0 प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करने के पश्चात् एम0ए0 पाठ्यक्रम को स्थगन में रखते हुए एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन किया जाता है तो अनुमति की स्थिति में विद्यार्थी को दोनों पाठ्यक्रम प्रथम प्रवेश के समय आवंटित नामांकन संख्या (Enrollment No.) प्राप्ति की तिथि से 6 वर्षों की समयावधि में ही पूर्ण करने होंगे, अन्यथा की स्थिति में शेष रह गए पाठ्यक्रम में प्रवेश निरस्त माना जाएगा।
- प्रत्येक दशा में शिक्षार्थी को विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु एक ही नामांकन संख्या (Enrollment No.) जो विश्वविद्यालय में प्रथम प्रवेश के समय आवंटित की गई हो, ही मान्य होगी।
- शिक्षार्थी को किसी एक शैक्षिक सत्र में केवल एक ही डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश/परीक्षा की अनुमति होगी। हालांकि उसे डिग्री के अतिरिक्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में प्रवेश/परीक्षा की अनुमति होगी।

- Only those learners who have successfully passed the first year / semester examination of the Programme in which they are enrolled are eligible for this facility.
- The learner seeking to suspend the present programme of study, so as to apply for admission in a new Programme, will duly submit his/her application to the Director, Admission within prescribed date for new admission.
- Only after successfully completing the second (new) programme of study, the learner will be allowed admission in the second year/semester of the previous suspended programme.
- The learner availing this facility will have to complete both the programmes within the time limit permissible at the time of admission in the first programme.
For example, if a learner enrolled in MA programme, for completing which the prescribed time limit is 06 years, decides to suspend it after passing the first year examination and seeks admission in a new programme, MBA, for example, s/he will have to complete both MA and MBA within 06 years from the date of enrollment in the MA programme, failing which the admission in the incomplete programme will stand cancelled.
- The enrollment number generated at the time of the learner's first admission in any of the UOU programmes will remain valid for all subsequent programmes of study.
- A learner can study and appear for examination in only one degree programme in a given academic session. However, s/he can opt for admission in Diploma/ Certificate Programme in addition to the degree programmes.

4.1.12 सामान्य नियम

- शिक्षार्थी सहायता केन्द्र समन्वयकों द्वारा ही शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों में प्रवेश के समय शिक्षार्थी के समस्त शैक्षिक अभिलेखों, जाति संबंधी प्रमाण पत्रों, शैक्षिक योग्यता इत्यादि का मूल अभिलेखों से मिलान कर सत्यापित किया जायेगा और शिक्षार्थी सहायता केन्द्र समन्वयक इसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
 - आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय के द्वारा भी प्रवेश आवेदन पत्रों का मूल अभिलेखों से मिलान कर यादृच्छ(रैण्डम) सत्यापन किया जायेगा।
 - शिक्षार्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वे प्रवेश लेने के उपरांत एक माह के भीतर अपने शिक्षार्थी सहायता केन्द्र में जाकर अपने संलग्न दस्तावेजों को सत्यापित करावें।
 - शिक्षार्थी सहायता केन्द्र समन्वयकों के लिए आवश्यक होगा कि वे अपने शिक्षार्थी सहायता केन्द्र में पंजीकृत नये शिक्षार्थी के समस्त शैक्षिक अभिलेखों, जाति संबंधी प्रमाण पत्रों, शैक्षिक योग्यता इत्यादि का मूल अभिलेखों से मिलान कर सत्यापित किये जाने का प्रमाण पत्र, प्रवेश विभाग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे।
 - चूंकि 14 दिसम्बर 2016 से उत्तराखण्ड में व्यक्तिगत परीक्षा प्रणाली समाप्त हो गयी है, अतः इस तिथि के बाद व्यक्तिगत परीक्षा प्रणाली के तहत उपाधि प्राप्त किसी भी आवेदक को प्रवेश नहीं दिया जायेगा, केवल उत्तराखण्ड के ऐसे व्यक्तिगत परीक्षा प्रणाली के तहत उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों के आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे जिन्होंने वर्ष 2016 के बाद व्यक्तिगत परीक्षा प्रणाली के तहत द्वितीय अथवा तृतीय वर्ष की परीक्षा देकर अपनी उपाधि प्राप्त की है।
 - विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में केवल वे अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र हैं जो विद्या परिषद द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता को पूर्ण करते हों। प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु उसकी प्रवेश अर्हता का उल्लेख सम्बन्धित विवरण में दिया गया है।
 - प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एवं निर्गत आवेदन पत्र ही मान्य होंगे।
 - प्रवेश आवेदन पत्र सम्बन्धित शिक्षार्थी सहायता केन्द्र अथवा विश्वविद्यालय से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राप्त किए जा सकते हैं।
 - अभ्यर्थी का प्रवेश उसी शिक्षार्थी सहायता केन्द्र में माना जाएगा, जहाँ उसने पूरित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो / पंजीकरण कराया हो।
 - केवल पूर्ण स्पष्ट रूप से भरे हुए ऐसे प्रवेश आवेदन पत्र जिनके साथ विद्यार्थी द्वारा स्वप्रमाणित एवं सम्बन्धित शिक्षार्थी सहायता केन्द्र द्वारा सत्यापित अभिलेख/ प्रमाण पत्र संलग्न हों, ही प्रवेश हेतु स्वीकार्य एवं मान्य होंगे।
- विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु मात्र उन्हीं स्कूल बोर्डों/ विश्वविद्यालयों/ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं उपाधियों मान्य होंगी जिन संस्थानों की ऐसी उपाधियों को विद्यालयी शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समकक्षता/ मान्यता प्रदान की गई हो।
- केवल उन पाठ्यक्रमों को छोड़कर जिनके लिए प्रवेश परीक्षा निर्धारित है, अन्य समस्त पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश दिए जाएंगे।
 - प्रवेश परीक्षा द्वारा आच्छादित पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा की तिथियाँ विश्वविद्यालय द्वारा यथासमय घोषित की जाएंगी।

4.1.12 General Rules

- All educational certificates, caste certificate, educational qualification etc. of learner will be certified by the Learner Support Center Coordinator after checking the original documents and accordingly Learner Support Center Coordinator shall be solely liable for it.
 - The University will also verify the admission forms randomly by checking the originals if necessary.
 - It will be mandatory for the learners to get their enclosed documents certified by the Learner Support Center within a month after admission.
 - It will be mandatory for the Learner Support Centers to send a certificate to the Admission Department of Uttarakhand Open University certifying that all the educational certificates, caste certificate, educational qualification etc. of the new learners registered in the Learner Support center have been attested by checking the originals.
 - As the private examination system in Uttarakhand has been abolished from 14th Dec.2016, thus no applicant having degree through private examination system after this date will be admitted; only those applications of the students of Uttarakhand will be accepted who have acquired their degree after passing 2nd or 3rd year through private examination system after 2016.
 - Only those applicants, who fulfill the required educational qualifications as decided by the Academic Council, are eligible for the programmes offered by the University.
 - Only those application forms will be acceptable which are issued and determined by the University.
 - Admission forms may be obtained from the concerned Learner Support Centres or the University Headquarters by paying the requisite fee.
 - An applicant will be enrolled only in that Learner Support Centre where his/her application forms has been submitted.
 - Only those admission forms which are duly verified and forwarded by the concerned Learner Support Centre, along with self attested copies of testimonials shall be treated as valid and acceptable for admission.
- Only the degrees / certificates issued by institutions which are **recognized by / Uttarakhand Madhymik Shiksha Parisad/ University Grant Commission, shall be accepted as valid for admission in the University.**
- Except for those programmes where entrance examination is conducted, there is a provision for direct admission in all other programmes.
 - Those programmes where admission is through entrance test, the dates of such tests will be declared by the

University.

- विशिष्ट प्रकरणों में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात अनुमन्य प्रवेश पर रु. 2000 का विलम्ब शुल्क देय होगा।
- प्रवेश आवेदन प्राप्त की अन्तिम तिथि के पश्चात एक पूर्व घोषित अवधि तक ही विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र स्वीकार्य होंगे। उक्त अवधि के उपरान्त किसी भी दशा में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- सामान्यतः विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु कोई न्यूनतम अथवा अधिकतम आयु सीमा नहीं है। किन्तु यदि किसी पाठ्यक्रम विशेष के लिए आयु सीमा का निर्धारण है तो यह उस पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में अनिवार्य दशा होगी।
- वर्तमान सत्र के आवेदन पत्र केवल वर्तमान सत्र के लिए ही मान्य हैं।
- अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण, अध्ययन केंद्र द्वारा बिना अग्रसारित व विलम्ब से प्राप्त हुए आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियाँ अत्यन्त सावधानी पूर्वक भरेंगे तथा कोई वांछित सूचना न तो छिपाएंगे और न ही गलत ढंग से प्रस्तुत करेंगे।
- आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक शैक्षिक प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित तथा संबंधित अध्ययन केंद्र द्वारा सत्यापित छाया प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है।
- विश्वविद्यालय ने जिन पाठ्यक्रमों हेतु बाह्य-सहयोगी संस्थाओं से अनुबन्ध किया है, उनके लिए प्रवेश विश्वविद्यालय अथवा सम्बन्धित संस्थानों की प्रवेश नीति के आधार पर होगा।
- शिक्षार्थी यदि स्वयं के नाम, माता का नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि में से यदि किसी एक का संशोधन कराता है तो वह निःशुल्क होगा लेकिन एक से अधिक संशोधन के लिए शुल्क पूर्ववत् लागू रहेगा।
- In special cases, if a learner is permitted admission after the last date, s/he will be charged Rs. 2000/- as late fee.
- The application forms will be acceptable till the last date of admission. However, there is a provision for acceptance of application forms along with late fee charges for a particular time period. After the last date, no form will be accepted in any case.
- Generally, there is no minimum and maximum age limit for admission in general. However, if there is any such rule mentioned in any programme, then it will be a mandatory pre-condition for seeking admission in that programme.
- The application forms pertaining to a particular session are valid for that particular session only.
- Incomplete or wrongly filled application forms without being duly forwarded to Study Centre, and applications received after due date of admission shall be cancelled. Therefore, applicants are advised to fill up all the information carefully. They should neither hide any required information nor project it wrongly.
- It is mandatory to produce all the necessary self attested photocopies of one's testimonials, duly verified by the concerned study centre.
- Admissions for those programmes which are being offered in a collaborative mode, shall be granted permission as per the admission policy of Uttarakhand Open University or the concerned collaborators.
- One correction in any one out of his/her name, mother's name, father's name and date of birth shall be without fee but for more than one correction the fee shall remain as earlier.

4.1.13 अपूर्ण एवं देर से प्राप्त आवेदन पत्र

ऐसे आवेदन पत्र जो अपूर्ण होंगे तथा देर से प्राप्त होंगे, उन्हें निरस्त किए जाने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा। अन्यथा की स्थिति में ऐसे आवेदन पत्रों को विलम्ब शुल्क के साथ स्वीकार किया जाना उच्च अधिकारियों की स्वीकृति से ही सम्भव होगा।

4.1.14 आवेदन पत्र भेजने हेतु निर्देश

प्रवेश हेतु आवेदन पत्र प्रारूप एवं निर्देश विवरणिका के अन्त में संलग्न है। कृपया परिशिष्ट I एवं II का अवलोकन करें। शिक्षार्थी दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रवेश फॉर्म भर कर अपने नजदीकी अध्ययन केंद्र में जमा कर सकता है।

4.1.15 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भेजने हेतु निर्देश

4.1.13 Incomplete forms and forms received after due date

The University has the right to cancel incomplete application forms and also those that are received after due date. However, such forms may be accepted only after the approval of the competent authorities with late fee charges.

4.1.14 Instructions for sending application forms

The application form for admission and directions for filling it, are attached at the end of this Prospectus. Please refer to Annexure I & II for the same. Learner may fill application form as per the guidelines and submit the same to the nearest study centre.

4.1.15 Instructions for Sending Online Application Forms

शिक्षार्थी अपना आवेदन आनलाइन भी कर सकते हैं। ऐसे शिक्षार्थी, जो आनलाइन पद्धति से प्रवेश लेते हैं, को विवरणिका शुल्क देय नहीं होगा। आनलाइन आवेदन करने हेतु निर्देश विवरणिका के अन्त में दिए गए हैं। कृपया परिशिष्ट II का अवलोकन करें।

4.1.16 विदेशी अभ्यर्थियों का प्रवेश

- विदेशी आवेदकों के आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों, प्रमाणकों तथा उनकी अर्हता की प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त जाँच की जाएगी।
- 2. अर्हता के सम्बन्ध में विदेशी शिक्षार्थी के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों के परिसंघ के द्वारा जारी 'समानता प्रमाण पत्र' प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा (इस प्रमाण पत्र का वर्तमान में प्रचलित नमूना परिसंघ की वेबसाइट से लिया जा सकता है)।
- उक्त बिन्दु 1 तथा 2 में अर्हता सुनिश्चित हो जाने के पश्चात ऐसे आवेदकों को कुलसचिव के द्वारा आशय - पत्र जारी किया जाएगा।
- इस आशय- पत्र की सहायता से विदेशी अध्ययनार्थी अपने दूतावास से भारत सरकार के नियमों के अन्तर्गत 'विद्यार्थी वीजा' प्राप्त करेंगे।
- वैद्य 'विद्यार्थी वीजा' प्रस्तुत करने पर ही विदेशी अध्ययनार्थियों को विश्वविद्यालय में नियमानुसार प्रवेश अनुमत्य किया जाएगा।
- नेपाली, भूटानी अथवा तिब्बती मूल के अध्ययनार्थियों को स्थानीय पुलिस के द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत ही प्रवेश दिया जा सकेगा तथा इन अध्ययनार्थियों को इस विश्वविद्यालय के अध्ययनार्थी रहते हुए सम्पूर्ण अवधि में इस हेतु निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
- भारत सरकार/राज्य सरकार/गृह विभाग तथा स्थानीय पुलिस के द्वारा समय-समय पर इस संबंध में बनाए गए नियम नेपाली/भूटानी/तिब्बती/अन्य विदेशी अध्ययनार्थियों द्वारा स्वतः ही पालन किए जाने योग्य होंगे, और इन नियमों का उल्लंघन करने पर विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

4.2 परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति

विद्यार्थी परीक्षा हेतु हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में से किसी एक का चुनाव कर सकता है।

4.2.1 परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता

परीक्षा का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जानी वाली प्रवेश तथा उन सभी परीक्षाओं से है जो विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु अथवा शिक्षार्थी द्वारा पढ़े जाने वाले पाठ्यक्रमों हेतु लिखित, मौखिक, ऑनलाइन आदि प्रकार से निर्धारित है।

परीक्षाओं में सम्मिलित होने की पात्रता एवं अनिवार्यता: प्रत्येक विद्यार्थी जिसने विश्वविद्यालय में विधिवत् प्रवेश लिया हो, विश्वविद्यालय में पंजीकृत हो एवं नामांकन कराया हो तथा जिसने सत्रिय कार्य पूर्ण कर जमा कर दिया हो और विश्वविद्यालय का शिक्षण शुल्क तथा परीक्षा शुल्क जमा किया हो, वह

Learners may also fill application forms online. The students who opt for online admission, shall not have to pay Rs.100/- towards the prospectus. The directions for filling online application form are given at the end of this prospectus. See Annexure II.

4.1.16 Admission of foreign students

- All information provided by the foreign applicants, together with their certificates and qualifications, will be duly verified in the University.
- With regard to the eligibility criteria, students from foreign countries will be required to procure an Equivalence Certificate, issued by the Association of Indian Universities. (AIU) (A sample of this certificate can be taken from the AIU website).
- Once the student fulfills the eligibility requirements, as mentioned in point's number 1 and 2, a Letter of Intent will be issued by the Registrar.
- With the help of the Letter of Intent, the students from foreign countries will be able to obtain 'student-visa' from the embassies of their respective countries.
- A foreign student will be granted admission in the University only when he/she produces a legal 'student-visa'.
- Students from Nepal, Bhutan and Tibet will be granted admission as per the rules of the local Police Department. Furthermore, these students will have to abide by the University rules as long as they remain the bona-fide students of the University.
- It is expected of the students from Nepal, Bhutan, Tibet and other foreign countries that they follow the rules framed by the Government of India, Ministry of Home Affairs, State Government and local Police Department. However, if these students are found flaunting the rules, the University will have the rights to cancel their admission.

4.2 Examination & Evaluation System

Student can opt hindi or English as a medium of examination

4.2.1 Eligibility for Participation in Examination

Examination implies to all those entrance and other examinations which are conducted by the University either annually or in semester mode. These may be written and oral for various programmes opted by the learners.

Eligibility for attending examination and obligations:- Each learner who is registered and has taken admission as per rule, i.e., who has been enrolled/ registered and has deposited the programme fee, examination fee, and also submitted the assignments will be eligible for appearing in the examination.

परीक्षा में सम्मिलित होने का पात्र होगा।

परीक्षार्थी /आवेदनकर्ता को प्रवेश आवेदन के साथ ही परीक्षा केन्द्र का चयन करना होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परीक्षा से संबंधित परीक्षार्थियों के लिए (बैक व सुधार परीक्षा को छोड़कर) अलग से परीक्षा आवेदन फार्म भरने का कोई प्रावधान नहीं है।

प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए उन समस्त विषयों की परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, जो उस पाठ्यक्रम के लिए वर्ष विशेष में उसके द्वारा चयनित किए गए हों। यदि कोई शिक्षार्थी किसी परीक्षा अथवा किसी विषय की परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है, तो उसे उस विषय की परीक्षा अथवा सम्पूर्ण परीक्षा (यथा स्थिति) में अनुपस्थित माना जाएगा।

यदि शिक्षार्थी पूरी परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उसे संबंधित कक्षा के लिए पुनः पंजीकरण नहीं करवाना होगा और न ही प्रवेश संबंधी शुल्क का भुगतान करना होगा। छात्र को केवल उस वर्ष के लिए ₹ 200/- प्रति प्रश्नपत्र बैक परीक्षा शुल्क के साथ बैक परीक्षा फॉर्म भरकर परीक्षा हेतु आवेदन करना होगा। साथ ही वह उस कक्षा की अगले वर्ष की परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है। परीक्षार्थी के पास विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रवेश पत्र जिसमें छात्र की फोटो लगी हो, अवश्य होनी चाहिए। परीक्षार्थी के पास अपना पहचान पत्र (वोटर आई.डी., लाइसेंस, पैन कार्ड आदि) होना चाहिए।

4.2.2.1 सत्रीय कार्य

स्नातक, परास्नातक डिप्लोमा एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों के शिक्षार्थी सत्रीय कार्य के सन्दर्भ में निम्नलिखित पर विशेष रूप से ध्यान दें –

- सत्रीय कार्य में 20 तथ्यनिष्ठ प्रश्न होंगे।
- प्रत्येक प्रश्न एक नम्बर (One marks) का होगा जहाँ पर सत्रीय कार्य .10 नम्बर का है वहाँ पर प्रत्येक प्रश्न आधे नम्बर (half marks) का होगा।
- सत्रीय कार्य में चार विकल्पों के साथ केवल तथ्यनिष्ठ प्रश्न ही होंगे।
- प्रश्नों का स्तर निम्न होगा -
- Simple questions - 6
- Moderate questions - 7
- Difficult questions - 7
- प्रश्न पत्र की अवधि एक घण्टा (60 मिनट) होगी
- परीक्षार्थी को अधिकतम दो मौके (chance) दिए जायेंगे, दूसरे मौके का उपयोग करने पर प्राप्त अंकों के 90 प्रतिशत का ही लाभ दिया जायेगा। जो परीक्षार्थी उपयुक्त दो मौकों (chance) पर पास नहीं हो पायेगा उसे बैक परीक्षा (back paper) का विकल्प दिया जायेगा .
- परीक्षा से पूर्व परीक्षार्थी को डेमो हेतु नमूना परीक्षण (mock test) की सुविधा प्रदान की जायेगी।

4.2.2.2 परीक्षा का प्रारूप

- परीक्षाएं कुल 02 घंटों में सम्पादित कराई जायेंगी। (जिसमें प्रश्नपत्र का प्रारूप जैसे 80 अंक के प्रश्नपत्र में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कुल 02 व लघु उत्तरीय प्रश्न कुल 04 करने होंगे।)
- परीक्षार्थी द्वारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों में लिखे जायेंगे।

4.2.3 विभिन्न परीक्षाओं हेतु अंकों का निर्धारण

Learners /examinees shall have to choose their exam center (mandatorily) at the time of admission. Examination form(s) shall not be filled separately, excluding back/improvement exams.

Every learner will have to take examination in all those subjects which have been chosen by him/ her. If a learner does not appear in any paper, then s/he shall be deemed as absent in that paper or the entire examination (as the case may be). No marks shall be allotted to the absentee learner. If a learner remains absent in all the subjects then s/he shall neither have to re-register in all the subjects for that year nor shall have to pay the entire admission related fee. However, the learner will have to pay Rs. 200/- per question paper with back examination fee along with the back examination form. At the same time s/he may also apply for the examination in next academic calendar. It is mandatory for the examinee to carry the admit card to the examination hall. The examinee also needs to carry his/her identity card (Voter ID, License, PAN card etc) with him/her.

4.2.2.1 Assignments

The learners of Graduate, P.G.Diploma and Post Graduate programmes should pay special attention to the following:-

- There shall be 20 objective types of questions in assignment.
- Each question shall carry 01(One) mark; Where the assignment is of 10 marks, each question shall carry ½(half) mark.
- Assignment shall have only objective questions, each with four options.
- The level of questions shall be as follows:
- Simple questions- 6
- Moderate questions- 7
- Difficult questions- 7
- The duration of the paper shall be one hour (60 minutes).
- Examinee will be given maximum two chances; if second chance is availed then the 90 % of the marks obtained shall be awarded. Those examinees that could not pass in the prescribed two chances shall be given the option of back paper.
- Before examination, for demo purposes, the examinee shall be given the facility of mock test.

4.2.2.2 Pattern of Examination

- The examination shall be held in the duration of two (02) hours. The paper shall be of 80 marks and shall consist of 02 long answer questions and 04 short answer questions.
- The examinee shall answer long answer questions in about 500 words and short answer questions in about 200 words.

4.2.3 Allocation of Marks in Various Exams

(क) ऐसे विषय जिनमें प्रयोगात्मक कार्य न हों-

1. सत्रीय कार्य- 20 % अंक
2. लिखित परीक्षा- 80 % अंक

(ख) ऐसे विषय जिनमें प्रयोगात्मक कार्य होते हैं-

1. सत्रीय कार्य 20 % अंक
2. प्रयोगात्मक कार्य 20 % अंक
3. लिखित परीक्षा 60 % अंक

(ग) पूर्णरूपेण मौखिक परीक्षा अथवा प्रोजेक्ट कार्य 100 अंक अथवा सम्बंधित विभाग द्वारा निर्धारित व्यवस्था।

(घ) जिन पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक प्रशिक्षण होगा उनमें संतोषजनक अथवा असंतोषजनक के रूप में मूल्यांकन कार्य किया जाएगा।

नोट: प्रमाणपत्र परीक्षा, डिप्लोमा परीक्षा अथवा उपाधि परीक्षा में यदि एक ही प्रश्नपत्र प्रयोग हो रहा हो और इन सभी में पूर्णांक भिन्न- भिन्न हो तो प्रथमतः सभी प्रश्नपत्र 80 अथवा 40 पूर्णांकों के अनुरूप ही तैयार किए जायेंगे किन्तु बाद में सम्बन्धित छात्र के पंजीकरण के वर्ष के सम्बन्धित पाठ्यक्रम के अनुरूप ही उक्त 80 अथवा 40 पूर्णांकों को आनुपातिक रूप से परिवर्तित कर परिवर्तित अंकों को ही सम्बन्धित शिक्षार्थी के परीक्षा परिणाम में प्रदर्शित किया जायेगा।

उदाहरण के लिए:- यद्यपि कि प्रश्नपत्र 80 अंक का होगा किन्तु यदि छात्र के द्वारा दी गयी प्रमाणपत्र परीक्षा में वही प्रश्नपत्र 100 अंकों का है तो छात्र के प्राप्तियों को आनुपातिक रूप से 80 के स्थान पर 100 के स्केल में परिवर्तितकर दिया जायेगा।

4.2.4 परीक्षा में उत्तीर्ण होने के मानदण्ड

प्रत्येक वर्ष में पंजीकृत शिक्षार्थी द्वारा उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक (सत्रीय कार्य, प्रयोगात्मक परीक्षा, मौखिक परीक्षा, परियोजना कार्य एवं लिखित परीक्षा में पृथक-पृथक) प्राप्त करना आवश्यक है। यदि कोई शिक्षार्थी किसी विषय में उपर्युक्त विधि से निर्धारित अंक प्राप्त नहीं करता तो उसे उस विषय में अनुत्तीर्ण माना जाएगा। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी को उस विषय में उत्तीर्ण होने के लिए पुनः परीक्षा देनी होगी। परन्तु किसी विषय में अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी उस पाठ्यक्रम के अगले वर्ष में अस्थाई प्रवेश ले सकता है तथा उस विषय की परीक्षा भी अगले वर्ष की परीक्षा के साथ दे सकता है।

4.2.5 परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन

- परीक्षा केन्द्र परिवर्तन:
- परीक्षार्थी यदि अपना परीक्षा केन्द्र परिवर्तन करना चाहता है तो वह परीक्षा प्रारम्भ
- होने की तिथि से 02 माह पूर्व परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हेतु विश्वविद्यालय वेबसाइट uou.ac.in में उपलब्ध परीक्षा केन्द्र परिवर्तन ऑनलाइन लिंक के माध्यम से अपना परीक्षा केन्द्र परिवर्तन कर सकता है। उक्त समयापरांत बिन्दु न0 2 लागू किया जायेगा।
- आवंटित परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन हेतु निर्धारित शुल्क रू0 500/- का भुगतान परीक्षार्थी द्वारा किया जायेगा। यह नियम बैंक परीक्षार्थियों के लिए भी मान्य होगा।

4.2.6 शुल्क भुगतान

किसी भी प्रकार का प्रवेश अथवा परीक्षा शुल्क नकद रूप में मान्य नहीं होगा।

A) Subjects without laboratory work:

1. Assignment- 20 % marks
2. Written Examination 80% marks

B) Subjects with laboratory work:

1. Assignments 20 % marks
2. Laboratory Examination 20 % marks
2. Written Examination 60% marks

C) Complete Oral Exam or Project work: 100 Marks or the marks allotted by the concerned School.

D) The evaluation of programmes involving practical training shall be marked by the concerned Departments.

Note: If a particular question paper is being used simultaneously in certificate, diploma and degree examinations and there is a difference in maximum marks in these programmes for the same question paper, initially, all such question paper(s) shall be prepared according to the 80 or 40 maximum marks format. Thereafter, depending upon the session of admission, the 80 or 40 maximum marks format will be converted proportionately according to the programme of learner's registration year and shall be declared as the learner's result in the mark sheet.

For example- If a question paper is of 80 (max .marks) but in the certificate program/course the student has opted for, the same paper is of 100 (max. marks), conversion shall be applied to declare the result on a scale of 100.

4.2.4 Criteria for Passing Examination

A minimum of 35% marks in each paper will be mandatory for passing any examination. The learners need to pass separately in assignments/ laboratory examination/ Project Work as well as the written examination. If an examinee fails to secure 35% marks in any paper, s/he shall be declared fail in that paper and s/he will have to reappear in that paper the next year. However, a learner who has not been able to pass all the papers or some of the papers may take admission for the next academic year and take both the examinations simultaneously in the next academic calendar.

4.2.5 Change in Examination Centre

- 1) Learners/examinees shall be provided a time frame/window to change/correct their respective exam center, two months prior to the commencement of exams, via change **examination center link** provided at University Website www.uou.ac.in After this period point no. 2 shall be applied.
- 2) Any change in exam center other than the above window will be charged Rs.500/ only. This shall be applied to Back examinee too.

4.2.6 Payment of Fees

Admission or examination fee is not acceptable in cash. It is

सभी प्रकार के शुल्क का भुगतान बैंक चालान के माध्यम से अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार करना अनिवार्य होगा।

4.2.6.1 परीक्षा शुल्क समायोजन

परीक्षार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा की मुख्य परीक्षा से संबंधित परीक्षार्थी को यह विशेष सुविधा दी जा रही है कि जिन विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश आवेदन के साथ ही परीक्षा शुल्क जमा किया गया है उससे संबंधित परीक्षार्थी यदि उस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं तो उनका परीक्षा शुल्क आगामी परीक्षा (केवल 6 माह) के लिए सुरक्षित रखकर अगली परीक्षा में सम्मिलित कर लिया जायेगा। निर्धारित समयवधि के उपरान्त यह सुविधा मान्य नहीं होगी। परीक्षा शुल्क समायोजन हेतु परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय वेबसाइट uou.ac.in में उपलब्ध ऑनलाइन लिंक के माध्यम से परीक्षा की तिथि से 02 माह पूर्व सूचित करना अनिवार्य होगा।

4.2.7 सुधार परीक्षा

● 1. **परीक्षा उत्तीर्ण** होने के पश्चात् यदि कोई परीक्षार्थी स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में प्राप्त अंकों में सुधार करने की इच्छा रखता है तो वह स्नातक, डिप्लोमा, एवं प्रमाणपत्र कार्यक्रमों के लिए ₹0 200/- प्रति प्रश्नपत्र एवं स्नातकोत्तर तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए ₹. 250/ की दर से शुल्क से भुगतान कर सुधार परीक्षा (Improvement Examination) दे सकता है।

सुधार परीक्षा आवेदन हेतु विश्वविद्यालय नियमानुसार परीक्षार्थी आवेदन कर सकता है।

- केवल वही परीक्षार्थी सुधार परीक्षा दे सकते हैं जिन्होंने उसी सेमेस्टर/वर्ष की सभी प्रश्नपत्रों की परीक्षाएं मुख्य परीक्षा एवं PWG (ग्रेस) के रूप में उत्तीर्ण की हैं।
- बैंक परीक्षा के रूप में उत्तीर्ण परीक्षार्थी सुधार परीक्षा देने हेतु मान्य नहीं होंगे।
- सुधार परीक्षा केवल लिखित परीक्षा हेतु मान्य है।
- मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के केवल छः माह के भीतर (आगामी परीक्षा) में ही परीक्षार्थी सुधार परीक्षा दे सकता है।
- सुधार परीक्षा हेतु परीक्षार्थी निम्नानुसार आवेदन कर सकता है-
- **स्नातक स्तर** - केवल कोई भी दो प्रश्नपत्रों में।
- स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट व पी0जी0डिप्लोमा - केवल कोई एक प्रश्नपत्र में।

नोट- यदि सुधार परीक्षा के फलस्वरूप संबंधित परीक्षार्थी के अंकों में वृद्धि होती है तो संशोधित अंक परीक्षाफल में अंकित किए जायेंगे परन्तु यदि सुधार परीक्षा के फलस्वरूप प्राप्तांक कम हो जाते हैं तो पूर्व प्राप्तांक यथावत् बने रहेंगे।

4.2.8 बैंक पेपर की सुविधा

शिक्षार्थी यदि अपने चयनित पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण (फेल) होता है वह स्नातक, डिप्लोमा, एवं प्रमाणपत्र कार्यक्रमों के लिए ₹0 200/- प्रति प्रश्नपत्र एवं स्नातकोत्तर तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए ₹. 250/ की दर से शुल्क का भुगतान कर पुनः परीक्षा दे सकता है। शिक्षार्थी को यह सुविधा उन सभी विषयों में देय होगी जिनमें वह अनुत्तीर्ण है। यह सुविधा पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु निर्धारित अधिकतम समय सीमा तक देय होगी। बैंक पेपर व सुधार परीक्षाएं मुख्य परीक्षा के साथ ही आयोजित की जाएंगी।

4.2.9 स्कूटनी (परिगणन) केवल ऑनलाइन प्रक्रिया

स्कूटनी का तात्पर्य है -उत्तर-पुस्तिका में छूटे हुए प्राप्तांकों का जोड़, अग्रसारण त्रुटि और उत्तर-पुस्तिका में किसी प्रश्न की जाँच छूट जाने पर

mandatory to pay all types of fee either through Bank Challan or as per other modes of payment specified by the University.

4.2.6.1 Adjustment of examination fee:

In favour of students those have already submitted exam fee along with admission for annual/ semester exams (main examination only) willing to skip/opt-out of the current year/session exams, shall be provided a link at www.uou.ac.in to retain their exam fees till the immediate next term exam(within six months). The examinee will inform university about skip/opt-out of the current year/session exams, via provided link two months in advance.

4.2.7 Improvement Examination

1) Pass students (UG&PG) can opt for improvement examination, @Rs.200/ per paper for the graduate, diploma & Certificate programmes and @Rs.250/ per paper for the Post Graduate & P.G.Diploma Programmes in the immediate next term exam (within six month). The applicant can apply for Improvement Exam as per guide lines set by UOU.Only those students who have been declared pass in all papers including pass with grace (PWG) in annual/ semester examination of the same session are eligible for Improvement Examination.Candidates those have passed exam with back paper are not eligible for Improvement Examination.The Improvement Examination will be conducted in theory papers only.The candidate will have to appear in Improvement Examination conducted immediately (within six month) after annual/ semester exams.

- The candidate can apply for Improvement Examination as stated below.
- Under graduate : Any two papers
- Post Graduate: Any one paper
- Certificate/ Diploma/ PD Diploma: Any one paper

NOTE: If the marks obtained in improvement exam are less than the previous attempt, best of the two (attempts) will be considered as final result.

4.2.8 Facility of Back Paper

If a learner fails in a programme of study selected by him / her, he/she may take the examination again by paying a fee @Rs.200/ per paper for the graduate, diploma & Certificate programmes and @Rs.250/ per paper for the Post Graduate & P.G.Diploma Programmes. A learner may avail this facility in all those subjects/ papers in which s/he has not been able to clear the exam. This facility is available only up to the maximum time duration earmarked for the programme. The back paper and improvement examination will be conducted along with the main examination.

उसका मूल्यांकन। उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी चाहने वाले इच्छुक अभ्यर्थी अधिकतम दो प्रश्न-पत्रों में रूपये 200 प्रति प्रश्न पत्र की दर से शुल्क का भुगतान कर उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी करा सकते हैं। यदि स्क्रूटनी के फलस्वरूप सम्बन्धित परीक्षार्थी के अंकों में वृद्धि होती है तो संशोधित अंक परीक्षाफल में अंकित किए जाएंगे परन्तु यदि स्क्रूटनी के फलस्वरूप प्राप्तांक कम हो जाते हैं तो पूर्व प्राप्तांक यथावत् बने रहेंगे।

उत्तरपुस्तिका स्क्रूटनी कराने वाले इच्छुक अभ्यर्थी अन्तिम परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 01 माह के भीतर अधिकतम दो प्रश्नपत्रों में रूपये 200 प्रति प्रश्नपत्र की दर से शुल्क जमाकर केवल ऑनलाइन प्रक्रिया से उत्तरपुस्तिका की स्क्रूटनी करा सकते हैं।

4.2.10 परीक्षा समय सारणी

विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा समय सारणी निर्माण में यथासंभव संभव ध्यान रखा जाता है कि शिक्षार्थी द्वारा लिए गये प्रश्नपत्र एक ही समय पर न हों, यदि ऐसा होता है तो तो शिक्षार्थी अगली छमाही में होने वाली परीक्षा में उन प्रश्नपत्रों की परीक्षा दे सकता है।

4.2.11 उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति दिया जाना

यदि कोई परीक्षार्थी किसी विषय की उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति चाहता हो तो वह रु0 200/- स्वयं से संबंधित प्रति प्रश्न पत्र की दर से शुल्क अदा कर उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त कर सकता है। उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 6 माह की अवधि तक दी जा सकती है।

4.2.12 परीक्षार्थियों की अंकतालिका

विश्वविद्यालय द्वारा केवल अंतिम वर्ष/सेमेस्टर के परीक्षार्थियों की अंकतालिका को प्रतिलेख (Transcript) हार्डकापी के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। अन्य वर्ष/सेमेस्टर की परीक्षा का परीक्षाफल परीक्षार्थी विश्वविद्यालय वेबसाइट से ONLINE MARKSHEET के रूप में प्राप्त कर सकता है। अंकतालिका/ट्रान्सक्रिप्ट अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

4.2.13 श्रेणी

परीक्षा परिणाम की निम्न तीन उत्तीर्ण श्रेणियाँ होंगी:

A) स्नातक स्तर:

प्रथम श्रेणी	60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक
द्वितीय श्रेणी	60 प्रतिशत से कम तथा 45 प्रतिशत तक
तृतीय श्रेणी	45 प्रतिशत से कम तथा 35 प्रतिशत तक

B) परास्नातक स्तर :

प्रथम श्रेणी	60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक
द्वितीय श्रेणी	60 प्रतिशत से कम तथा 48 प्रतिशत तक
तृतीय श्रेणी	48 प्रतिशत से कम तथा 35 प्रतिशत तक

4.2.14 उपाधि प्रदान किया जाना

शिक्षार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किए जाने के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा उसे उपाधि प्रदान की जाती है। उपाधि प्राप्त करने हेतु आवेदन केवल www.uou.ac.in पर online प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध है।

मूल उपाधि का शुल्क

- रु. 500/-

4.2.9 Scrutiny(Through Online Process only)

Scrutiny implies to the addition of the left out marks in the answer script or evaluation of any question which is left unchecked. Learners may apply for scrutiny by paying Rs.200 per paper. An examinee can get a maximum of two papers scrutinized. If after scrutiny, the score of the candidate increases by 10%, the same will be reflected in the improvement marksheet. However, if marks are reduced then the previous marks will be retained.

Students willing to opt for scrutiny can apply online for scrutiny of the answer book within 1 month after the declaration of final result in any 2 papers by depositing a fee of Rs. 200 per paper

4.2.10 Examination Date Sheet

The University takes all possible care in making examination date sheet that the question papers taken by learner do not clash with one another. If so happens the learner may take examination in such papers in the forthcoming examination in next six month.

4.2.11 Photocopy of answer sheet

If a learner wishes to get photocopy of the answer sheet related to him/her, s/he may get it by paying a fee of Rs. 200 per paper. The photocopy of the answer sheet will be given within the period of six months of the declaration of result.

4.2.12 Distribution of marksheets

University will provide consolidated mark sheet(s) only to the final semester/year pass students, in the form of a transcript.

Other than final year/sem. examinees shall be able to download their mark sheet(s) online in original from university's website www.uou.ac.in There is provision to provide marksheet/transcript to examinees through Study centers.

4.2.13 Division

The examination result will comprise the following three pass divisions:

A) Graduate Level:

First Division	60% or more
Second Division	Less than 60% and upto 45%
Third Division	Less than 45% and upto 35%

B) Post Graduation Level:

First Division	60% or more
Second Division	Less than 60% and upto 48%
Third Division	Less than 48% and upto 35%

4.2.14 Award of Degree

The University awards degree to the learners after successfully completion of a programme. The application for degree shall be entertained online only. The learner should apply online at www.uou.ac.in

Original Degree fee – Rs. 500/-

प्रोविजनल(PDC) एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र(NOC)का शुल्क - रू. 200/-
एकल विषय(Single Subject) प्रमाणपत्र का शुल्क - रू. 200/-

Provisional (PDC) & No Objection Certificate(NOC) fee-RS.200/-
Single Subject Certificate fee- Rs. 200/-

4.2.15 सावधानियाँ

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के मुख्यालय अथवा उसके द्वारा आवंटित क्षेत्रीय केन्द्रों/अध्ययन केन्द्रों से सीधा सम्पर्क स्थापित करें। किसी मध्यस्थ अथवा अवांछित माध्यम के द्वारा प्रवेश न लें। यदि उचित माध्यम से अभ्यर्थी अपना प्रवेश नहीं लेते हैं तो वे इस सन्दर्भ में किसी भी कठिनाई के लिए स्वतः उत्तरदायी होंगे। अध्ययन केन्द्रों के द्वारा निर्धारित राशि से अधिक शिक्षण / परीक्षा शुल्क लिए जाने अथवा अमान्य तथा अवैधानिक रूप से प्रवेश देने वाले शैक्षिक संस्थानों के सम्बन्ध में कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी 263139, नैनीताल, को तत्काल सूचित करें।

4.2.16 वादों का निस्तारण

प्रवेश तथा विश्वविद्यालय सम्बन्धी समस्त वादों का न्याय क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल ही होगा।

4.2.17 विविध जानकारी हेतु सम्पर्क नंबर / वेबसाइट

विश्वविद्यालय के प्रवेश तथा समस्त शैक्षिक कार्यक्रमों से सम्बन्धित जानकारीयाँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट <http://uou.ac.in> पर प्राप्त की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त अध्ययन केन्द्र, क्षेत्रीय केन्द्र तथा विश्वविद्यालय के मुख्यालय से भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

विविध जानकारी हेतु विश्वविद्यालय के टॉल फ्री नम्बर 1800 1804 025 पर प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है। जानकारी प्राप्त करते समय यह अवश्य स्पष्ट करें कि आपको किस सन्दर्भ में जानकारी प्राप्त करनी है। इससे सम्बन्धित व्यक्ति को सन्दर्भित करने में सहायता मिलेगी।

4.2.18 दिव्यांग परीक्षार्थियों को परीक्षा हेतु प्रदान की जाने वाली सुविधा

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के फाईल सं0 16&110@2003&DD.III fnukad 26@02@2013 द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों एवं संयुक्त सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक F 6-2/2013 (SCT) अप्रैल 2013 द्वारा जारी किये गये पत्र का पालन करते हुए उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा उक्त दिनांक से विश्वविद्यालय के दिव्यांग परीक्षार्थियों को लिखित परीक्षा में निर्धारित परीक्षा समय के अतिरिक्त 20 मिनट प्रति घंटा व लेखन सहायक की सुविधा प्रदान की जा रही है।

इस हेतु परीक्षार्थी परीक्षा तिथि से पूर्व विश्वविद्यालय को अपने दिव्यांग प्रपत्र व अन्य आवश्यक प्रपत्र (जैसे लेखन सहायक का विवरण, फोटो) इत्यादि अभिलेख प्रेषित करेंगे। उसके उपरांत संबंधित के परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष/प्रभारी को परीक्षा केन्द्र में व्यवस्था कराये जाने हेतु सूचना प्रेषित की जायेगी है जिसकी एक प्रति परीक्षार्थी को उसकी सुविधानुसार प्रदान जायेगी।

4.2.15 Caution

It is advised to all those applicants who wish to seek admission in various programmes of the University, that they establish direct contact with the University or Regional Centres or Study Centres. Learners are cautioned against taking admission through any agent or through any other undesirable means. If learners do not take admission through proper channel, then in case any problem, then they will be held responsible for any consequences. If admissions are being offered illegally by any unrecognised institutions by charging extra tuition / examination fee, it is imperative on the part of the applicant to inform the Registrar, Uttarakhand Open University, Haldwani, 263139 Nainital, immediately.

4.2.16 Resolution of Disputes

Any disputes related to admissions or to the University will fall under the jurisdiction of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital.

4.2.17 Contact number/ website various

Information

Information related to admission and academic programmes can be obtained from the University website <http://uou.ac.in>. Additional information may be availed from the Study Centres, Regional Centres and the University Headquarters. Learner may also obtain information from the toll free number of the University (1800 1804 025) during each office day between 10 a.m. to 5 p.m. While making an enquiry, a learner needs to specify what information s/he needs as this will help us in referring her/ him to the concerned person or department.